खण्ड-102, अंक-3
बुधवार, 7 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(28 मई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २८ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोबिन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथमिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़ श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किंदर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री.
खयालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद, सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी,
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धरमसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ, सिंह श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुलहक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री

फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मकसूद आलमखां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह यादव, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र मिस्त्री, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुंडा)
रामस्वरूप, श्री (इटावा)
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण रेड्डी कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवसरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री

श्याम मनोहर, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मख्फी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगावाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रुहमान खां हकीम, श्री
हामीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्य ने शपथग्रहण की--

श्री जगन प्रसाद रावत

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर रेलवे कर्मचारियों के जलुस पर का चलाना

*१--श्री नेक राम शर्मा,--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रेलवे कर्मचारियों के जलूस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा गोली चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)--गोली जिस परिस्थिति में चलानी पड़ी उसका स्पष्टीकरण महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर वादविवाद के सिलसिले में अपने भाषण में मैं कर चुका हूं।

*२--श्री नेक राम शर्मा--गोली चलाये जाने पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गोली चलाने से ९ व्यक्ति आहत हुये थे। इनमें से दो व्यक्तियों की बाद को मृत्यु हो गई।

श्री नेक राम शर्मा--क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों का जलूस शांतिमय था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री नेक राम शर्मा--क्या वहां बिना गोली चलाये हुये अन्य साधनों से स्थिति काबू में नहीं की जा सकती थी।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो उस वक्त वहां के अधिकारी थे उनका यह ख्याल था कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर--क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियोंके जलूस में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट असोसियेशनों का खास हाथ था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहरहाल कुछ था, जरूर लेकिन यह कि खास हाथ था या नहीं इस बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी--क्या यह सही है कि रेलवे कर्मचारियों में ही नहीं बल्कि वहां की जनता में भी इस गोलीकांड के कारण असंतोष फैला है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई परिणाम नहीं हुआ और न गोरखपुर में इस पर कोई मीटिंग प्रोटेस्ट (विरोध) में हुई और न कोई प्रदर्शन ही हुआ है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री कृपा कर के बतलावेंगे कि क्या वहां टीयर (आंसू लाने वाली) गैस का भी प्रयोग किया गया था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--क्या वहां पर टीयर गैस का उपयोग करना अनावश्यक समझा गया ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जरूर समझा गया होगा वरना प्रयोग किया ही जाता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई थी उस की रिपोर्ट भवन के सामने रखी जायगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आमतौर से ऐसी रिपोर्ट जो आती हैं वह नहीं रखी जातीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--जो लोग गोली चलने से ज़ख्मी हुये, मरे या जिनको नुकसान पहुंचा उसकी तलाफी करने की कोई कोशिश की गई या की जायगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तलाफी करना या गुजारा देने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ऐसा तो उस वक्त किया जाता है जब गवर्नमेंट की तरफ से या सरकारी अहलकारों की तरफ से कोई ग़लती की जाय।

देश के विभाजन होने पर आगरे में जूते का व्यवसाय तथा उसके संगठन की योजना

*३--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभाजन के कारण आगरे के जूते का बाजार छिन्न-भिन्न हो रहा है और उसकी वजह से यहां हजारों कारीगर बेकार हो गये हैं ? क्या सरकार आगरे के जूते के व्यवसाय को उचित प्रकार से संगठन करने के लिये एक योजना बनाने को एक कमेटी बनाने के प्रश्न पर बिचार करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)--जहां तक सरकार को सूचना मिली है उससे यह ज्ञात होता है कि आगरे के जूते के कारोबार में हाल में अवनति हुई है। उसके तीन कारण हैं। (१) कीमतों के गिरने के कारण बाजार का ठीक न चलना, (२) पूंजी की कठिनाइयां (३) खराब और उचित प्रकार के माल के बनने से कारबार में कमी।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रश्न पर कुटीर उद्योग की सहकारी समिति की एक उपसमिति विचार करे। अतएव सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस संबंध में एक अलग समिति बनायी जाय। हां, इस संबंध में सरकार तुरन्त लेदर डेवलपमेंट आफिसर को परिस्थिति की जांच के लिये आगरा भेजेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या सरकार ने जो आगरे के जूते के व्यवसाय के अवनति के कारण बतलाये हैं उनके अतिरिक्त मुख्य कारण वहां कच्चा माल मुहैया न होना तथा स्टैन्डर्डाइजेशन (स्तरोन्नयन) वगैरह की कमी है ?

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि अपनी खुद की राय का इजहार कर रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन जब स्वयं उनको मालूम है कि क्या कारण हैं तो उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरे के चर्मकार व्यवसाय के लिये कोई योजना बनायी है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--अभी तो कोई ऐसी योजना बनी नहीं है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इस उद्योग में लगे हुये कितने मजदूर बेकार हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये पांच निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये पांच सदस्य चुने जाने वाले थे। केवल पांच सदस्य ही नामांकित रह गये हैं। इसलिये वह चुने गये। उनके नाम इस प्रकार हैं--

(१) श्री जवाहर लाल रोहतगी
(२) श्री भगवान दीन मिश्र
(३) श्री श्रीनाथ भार्गव
(४) श्री रघुवीर सिंह
(५) श्री कमला सिंह।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये दो निर्वाचित दो सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये दो सदस्यों का चुनाव होने वाला था। क्योंकि अब दो से अधिक नामजद नहीं है, इसलिये

(१) श्री कैलास प्रकाश
(२) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

सदस्य चुने गये।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये तीन निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए तीन सदस्य चुने जाने वाले थे और इसमें क्योंकि अब तीन सदस्यों के अतिरिक्त बाकी नाम वापिस ले लिये गये हैं, इसलिये

(१) श्री गोपीनाथ दीक्षित
(२) श्री छेदा लाल गुप्त
(३) श्री वसी नक़वी

निर्वाचित हुये।

उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ़ वार्डस के लिये दो निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ वार्डस में दो स्थानों की पूर्ति करनी थी और उसमें दो ही सज्जन नामजद हुये थे। किसी ने नाम वापिस नहीं लिया, इसलिये

(१) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
(२) श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री

निर्वाचित हुये

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, के लिये दो निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर के लिये भी दो सदस्य नामजद हुये थे। किसी ने नाम वापिस नहीं लिया, इसलिये

(१) श्री राजा राम
(२) श्री शिव राज सिंह

निर्वाचित हुये।

वित्त समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—वित्त समिति के लिये १६ सदस्यों की नामजदगियां हुई थीं। पांच सदस्यों ने अपने नाम वापिस ले लिये हैं इसलिये ये १४ सदस्य निर्वाचित हुये :—

१—श्री नेहालुद्दीन
२—श्री भूपाल सिंह
३—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
४—श्री कालिका सिंह

५—श्री सुल्तान आलम खां
६—श्री राजाराम
७—श्री वीरेन्द्र वर्मा
८—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
९—श्री रतनलाल जैन
१०—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी
११—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
१२—श्री जयपाल सिंह
१३—श्री धर्म सिंह
१४—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट ।

विभिन्न रेलवे समितियों के लिये विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—रेलवे कमेटियों के भी नाम लोगों ने वापिस कर लिये है, इसलिये हर एक समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम ये है ।

वेस्टर्न रेलवे के लिये.....श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव,
सेन्ट्रल रेलवे के लिये.....श्री बेनी सिंह,
नार्थ-ईस्टर्न रेलवे के लिये.....श्री भगवती प्रसाद दुबे ।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये राजा मुहम्मद सआदत अली खां का प्रार्थना-पत्र

माननीय अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१(२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध मे राजा मुहम्मद सआदत अली खां के प्रार्थनापत्र पर यह सदन कृपया विचार करेगा । उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है :—

"I have the honour to inform you that I shall be leaving for the United Kingdom this summer for medical treatment. Besides, I have to admit my two sons in the school in England for education.

I, therefore, request that my absence from the Assembly may kindly be excused from the 25th May, 1952, till the 16th November, 1952."

[मुझे आपको सूचित करना है कि मैं इन गर्मियों में चिकित्सा के लिये यूनाइटेड किंगडम जाऊंगा । साथ ही मुझे अपने दो लड़कों को इंगलैंड में शिक्षार्थ स्कूल में भरती करना है ।

अतः मेरी प्रार्थना है कि २५ मई, १९५२ ई० से १६ नवम्बर, १९५२ ई० तक विधान सभा से मेरी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाय ।]

क्या माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर विचार जारी रहेगा ।

श्री गजेन्द्र सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन कल रखा था उस पर इस सदन में काफी वादविवाद हुआ । उसमें, वादविवाद के दौरान में, कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित किये जिससे हमारे अन्य माननीय सदस्यों के दिलों में भ्रम पैदा हो सकता है । मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा उनसे इस संशोधन के बारे कुछ सफाई पेश कर दूं । हमारे एक साथी ने यह कहा है कि जब सब बराबर हैं तो संशोधन में लोगों में अन्तर क्यों रखा गया है । यानी जब सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि सब बराबर हो जाय तो फिर ऐसा अन्तर क्यों रखा जाता है ? जहां तक अन्तर का ताल्लुक है हमने जो सिद्धांत रखा है कि एक और दस का अनुपात हो और इससे अधिक अन्तर न होना चाहिये यह हमारा पहला सुझाव है । हम धीरे-धीरे बराबरी की ओर चलेंगे, लेकिन हमारे सामने अभी सवाल है कि हमारे यहां की पैदावार अभी बढ़ी नहीं है ।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

हमारे यहां पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था का एक दोष होता है, वह पैदावार को कम करता है, अकाल को बढ़ाता है और लोगों को उपभोग की चीजें कम मिला करती हैं। चूंकि पैदावार हमारी ज्यादा नहीं हो पायी है तो जब हम देश की पैदावार को बढ़ाते जायेंगे तो धीरे धीरे जो आदमियों के अन्दर फर्क हैं उसको भी धीरे धीरे कम करते जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि जितने सुझाव हमारे इस सदन में आज तीन दिनों से चल रहे हैं वे उन्हें मान लें और यदि मान लेते तो २५ लाख ७६ हजार रुपये इस राज्य सरकार के पांच सालों के अन्दर बच जायं। मैं समझता हूं यह सुझाव बहुत ही सुन्दर है देश में अकाल पड़ रहा है एक-एक पैसा राज्य सरकार को बचाना है और उसको जन-हितमें लगाना है। इसलिये आशा है कि सदस्यगण हमारे सुन्दर सुझाव को मानेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको फल मिलता है लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि लोग परिश्रम करते हैं ८-८ घंटे नहीं, १२-१२ घंटे नहीं, बल्कि १५-१६ घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको अपने परिश्रम का फल बराबर नहीं मिल पाता। गांवों में रहने वाले किसान कितना काम करते हैं, मिलों में काम करने वाले कितना काम करते हैं यह हम सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। काम करने वाले लोग आज भूखों मरते हैं और जो काम नहीं करता गद्दियों पर बैठा रहता है ऐश करता है आराम करता है। वाकई में कर्म करने वाले को फल मिलना चाहिये, लेकिन उसको नहीं मिलता। इसलिये आज हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कमाने वाला खायेगा। अगर हर एक कमाने वाले को मिलेगा तो हमारे देश में पैदावार भी बढ़ेगी और इस तरह से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसलिये हमें अपने राष्ट्र के प्रत्येक आदमी से काम लेना है।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी सिद्धांत है और वह यह है कि जो यहां पर सदस्यगण हैं या जो मिनिस्टर हैं वे अपने जीवन को ऐसा सादा बनायें, जिसे दूसरे लोग हमारे चरित्र की ओर आकर्षित हों। यह जो गीता और रामायण के नारे लगाये जाते हैं यह लोगों को बहकाने और उनको बेहोश करने के लिये लगाये जाते हैं। जो आज पद दलित है, शोषित है उसको सदैव के लिये पददलित और शोषित बनाये रखने के लिये है। यह जो अफीम का नशा है वह सिर्फ इसलिये है कि लोग अपने अधिकारों से बेखबर रहें। लेकिन अब गरीब जान चुका है कि उसका कर्त्तव्य क्या है और अब ज्यादा दिन तक ये चीजें चल नहीं सकती। मुमकिन है आज हमारे सुझाव न माने जायं, ग़लत समझे जायं, या कानूनी घेरे में न आते हों और इस तरह से आज आप हमारी मखौल उड़ा सकते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि वह समय जल्द आने वाला है जब इस किस्म की बातें नहीं रहेंगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि किन्हीं किन्हीं साहब ने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ईर्षा और डाह करती है, लेकिन हमको डाह नहीं है हम तो सारे समाज को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वह ग़लत रास्ते में उसको खर्च करता है, ऐयाशी करता है जिसका असर दूसरे आदमियों पर बुरा पड़ता है। अगर ईर्षा की बात फिर भी है तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा पूछना चाहूंगा कि जब आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे और राज्य लेना चाहते थे तो आपके खिलाफ भी यही प्रचार किया जाता था और वे तरह तरह की बातें आपके खिलाफ कहते थे।

पहले आप भी जिस हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ाई लड़ते थे, वह क्या न्याय-संगत नहीं था? उसी तरह से आज इस किस्म के प्रश्न उठाकर हमारा मखौल उड़ाया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जरा ठंडे दिल से इन तमाम चीजों पर सोचें समझें और जो सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं वे बड़े सुन्दर हैं, रचनात्मक हैं और उन्हें आपको मान लेना चाहिये।

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस खंड के मुताल्लिक सोशलिस्ट उसूलों से बहस हुई, मैं तो समझता हूं कि न तो उसके जवाब देने की जरूरत है और न उसमें असेम्बली का वक्त ही जाया करना चाहिये। हमने डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाह ६०० रु० रखी है। इसके मुताल्लिक एक सवाल कल उठा था और हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया था। यह तनख्वाह शायद बढ़ायी गई है और ५०० के बजाय ६०० कर दी गयी है। मुझे इस सिलसिले में तवज्जह दिलाना है उस बिल की तरफ जो इसके बाद पेश होने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर मेम्बर्स एमालुमेंट्स बिल। अगर आप इसकी दफा ३ को देखेंगे तो मालूम होगा कि इसके जरिये से जो मेम्बरों की तनख्वाह २०० रुपये मुकर्रर की गयी है उसमें डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को मुस्तस्ना कर दिया गया है। पहले उनको तनख्वाह के अलावा यह २०० रुपया बहैसियत सदस्य के मिलता था जो कि उनका हक है। लेकिन अब उनको इससे मुस्तसना कर दिया गया है। अब उनको तनख्वाह सिर्फ ६०० रुपये मिलेगी। एक तरह से उनकी तनख्वाह १०० रुपये बढ़ी नहीं है, बल्कि १०० रुपये घट गयी है, यानी उनको अब बजाय ७०० रु० के ६०० रु० ही मिलेगा। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारा जो प्रोपोजल है वह निहायत सही है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई एतराज सही तौर पर किया जा सके। उसके साथ मुझे यह भी तवज्जह दिलाना है कि इस तरह से तमाम वक्त जाया न करें और शरायत का जहां तक तालुक है यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज सबजेक्ट टु दि ... मिनिस्टर्स, स्पीकर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ...

इसमें कहीं डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन का नाम नहीं रखा गया है। इस वजह से कि चूंकि हम उनको कोई मकान या और कोई एलाउन्स नहीं दे रहे हैं इसलिये उनको जो और टी० ए० और डी० ए० मिलता है वह मिलेगा। दे शेल गेट.....

माननीय अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी हिन्दी का अनुवाद ही पढ़ें।

माननीय श्री सैय्यद अली ज़हीर---मैं हिन्दी के खंड दो का ही हवाला दे रहा हूं और इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को वह २०० रुपया तो नहीं मिलेगा लेकिन उनको ट्रेवलिंग एलाउन्स, डी० ए० और टी० ए० वही मिलेगा जो और मेम्बरों को मिलेगा। इस तरह से जो हमारी स्कीम है उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। लिहाजा मैं तजवीज करूंगा कि उसे मंजूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३ रखा जाय---

३---उत्तर प्रदेश विधान सभा के उस उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उस उपसभापति को जिसकी निजी आय १,००० रुपये मासिक से अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस उपाध्यक्ष या उपसभापति की निजी आय १,००० रुपये मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपये मासिक हो सके लेकिन मासिक वेतन ४०० रुपये मासिक से अधिक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का भाग मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

अध्यक्ष और सभापति के लिये बिना किराये के सुसज्जित निवास-स्थान ।

४--अध्यक्ष और सभापति को लखनऊ में पूरे वर्ष बिना किराये के सुसज्जित निवास-स्थान उससे सम्बद्ध भूमि के साथ, जिनका रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से होगा पाने का अधिकार होगा और उक्त अधिकारियों को ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी जहां पर उत्तर प्रदेश विधान राज्य मंडल का सत्र (सेशन) हो, उक्त प्रकार के निवास-स्थान पाने का अधिकार सत्र की अवधि के लिये और उससे पहिले और उससे पीछे ऐसे समय के लिये होगा जो एक सप्ताह से अधिक न हो ।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

अध्यक्ष और सभापति के लिये सरकारी परिवहन ।

५--अध्यक्ष और सभापति के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायगी जिनका क्रय और रख रखाव राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा ।

श्री राजेंद्र सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द' "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जांय ।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है हम समझते हैं बड़ी जल्दी यह बात कही जाती है कि एक ही किस्म की स्पीचेज सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यगण देते हैं । बात यह है कि यहां पर आप भी एक ही किस्म के बिल रखते हैं और यह राज्य सरकार की ही कमजोरी है कि वह ऐसा करती है । हमको तो मजबूरी से ऐसा करना पड़ता है । इसलिये हम समझते हैं कि सदन का समय बरबाद करने की जिम्मेदारी उनके ही ऊपर है ।

माननीय अध्यक्ष--यदि एक ही किस्म के कई बिल सदन के सामने हों तो माननीय सदस्य को अधिकार है कि एक ही किस्म के अमेंडमेंट बार बार रखें । सिर्फ मनाही इस बात की है कि एक ही किस्म की बहस न हो, आगुमेंटस् [तर्क] एक किस्म के न हों । एक दफा कोई बात कह देने के बाद उसको दोहराना आवश्यक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--अब प्रश्न यह है कि उपाध्यक्ष या उपसभापति के लिये भत्ते या परिवहन के लिये जो नियम बनायें जांय, वह सरकार बनाये । इसमें हमको कोई एतराज नहीं है । लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि यह तमाम नियम इस सदन के सामने रखे जांय और यह सदन उनमें दिलचस्पी ले ताकि सदन को यह मालूम हो सके कि वह रुपया किस तरह से खर्च किया जाता है । इसमें यह नहीं होना चाहिये तीन चार आदमी बैठकर नियम बना लें और बाहर के किसी आदमी को मालूम न हो कि यह खर्चा उचित या अनुचित ढंग से किया जाता है और सदन को इसकी जानकारी न हो । इसलिये हम यह समझते हैं कि यह नियम जो बनाये जांय वह इस सदन के सामने लाये जांय ।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--इसी किस्म की तकरीर दूसरे अमेंडमेंट के सिलसिले में हो चुकी है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया था कि इसके मुतालिक जो ग्रांट होगी वह हाउस के सामने आयेगी उस सिलसिले में हाउस को मौका मिलेगा कि उसके ऊपर

बहस हो सके। इसके लिये इसकी जरूरत नहीं है कि जो रूल्स बनें वे इस हाउस के सामने आयें और मंजूरी के लिये यहां पर पेश किये जाय। वैसे तो हाउस को अख्तयार है कि जिस तरीके से चाहे वह मुख्तलिफ तरीके से एतराज उठा सके और बहस कर सके लेकिन यह गैरजरूरी मालूम होता है कि रूल्स को बनाने के बाद यहां पर वक्त जाया करने के लिये लाया जाय। लिहाजा मैं इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय मंत्री ने जब इस चीज को मान लिया है कि उसके मुताल्लिक यहां पर बहस हो सकती है तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अच्छा हो यदि वे इन नियमों को स्वीकार करने के बाद यहां पर हाउस में ले आयें। इसमें उनके लिये कोई परेशानी नहीं है। यों तो वैसे भी उनके सभी प्रस्ताव पास हो चुके हैं और यदि वह एक संशोधन हमारा मान भी लेंगे तो किसी दिक्कत में नहीं पड़ जावेंगे। जो उन्होंने अभी स्पीच दी है उससे वे हमारी बात को मानते भी हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जाँय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति के भत्ते।

६---अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, और उपसभापति को सार्वजनिक कार्य के लिये यात्रा के निमित्त ऐसे दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों से अवधारित की जांय, यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ७

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३७ का निरसन।

७---यू० पी० लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज) ऐक्ट, १९३७ निरस्त होगा और एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये धारा २ में उल्लिखित करों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "बना सकती है" के स्थान पर शब्द 'बनायेगी' जिनको विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी, रख दिये जांय ।

इसका सिद्धांत माननीय गजेन्द्र सिंह ने अपने पहले संशोधन में रख दिया है। हमारी यही आशा है कि जो भी नियम बनें वे यदि इस भवन में रखे जावें तो उनपर वादविवाद हो सकता है कि किस किस्म के नियम बनाये जाते हैं। मेरा संशोधन बड़ा साफ है और यदि माननीय न्याय मंत्री जी इसे मान लेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर मैं अपना संशोधन आपके सामने रखता हूं।

माननीय श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, इसके मुतालिक मैं अभी तकरीर कर चुका हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पीच का भी हवाला दे चुका हूं। मेरे ख्याल में और कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है और मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि नियमों के इस भवन के सामने आने की क्या आवश्यकता है। यदि ये नियम इस भवन के सामने नहीं आते हैं तो उपसभापति और उपाध्यक्ष को दो बार ट्रेवलिंग एलाउन्स, और दैनिक भत्ता मिलने की सम्भावना रहती है। मैं जरा इसको स्पष्ट कर दूं। कल इस संबंध में हमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया था कि पहले उपाध्यक्ष और उपसभापति को मेम्बरों की २०० रु० माहवार तनख्वाह, टी० ए०, डी० ए० और उसके साथ ५०० रु० माहवार तनख्वाह के मिलते थे। तो पहले यह बात अवश्य रही होगी, लेकिन आज जो हमने स्वीकार किया है वह हमने पुरानी गलती को ठीक किया है। पहले अगर डिप्टी स्पीकर साहब को या डिप्टी चेयरमैन साहब को ५०० रुपया मिलते थे और उसके अलावा वे कोई भत्ता तनख्वाह वगैरह लेते थे तो यह बड़ी भारी गलती थी और अगर सन् १९४६ से इस प्रकार होता रहा है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी विचारणीय प्रश्न है। इसके जरिये कोई तनख्वाह न बढ़ाई गयी है और न घटाई गई है बल्कि गलती को ठीक किया गया है। अब नियमों का बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इस लिये मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, इस भवन से नम्र निवेदन करूंगा कि ये नियम हमारे सामने आने चाहियें ताकि ट्रेवलिंग एलाउन्स, दैनिक भत्ता वगैरह का मल्टीप्लिकेशन न हो सके और खामखाह के लिये इस भवन की आज्ञा के बिना खर्चा न बढ़े। यह मेरी मंशा है और मैं समझता हूं कि भवन के सब सदस्यों की हार्दिक इच्छा भी यही होगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

माननीय श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है। सिर्फ यह बतलाना है अपने उधर के भाइयों को कि जो हम यह कर रहे हैं कि ये विधान मंडल के सामने स्वीकृति के लिये नहीं आवेंगे, इसके माने यह नहीं है कि वे खुफिया में रहेंगे अगर हमारे भाई देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि रूल्स में इस तरह का प्राविजन है कि जब नियमों के मुतालिक वे कोई इत्तिला हासिल करना चाहेंगे तो उनको हासिल हो सकती है। इसलिये कोई घबड़ाने की बात नहीं है। यह खाली इसलिये है कि जो तरीका रूल्स का हाउस में ले करने (रखने) का है उसकी जरूरत नहीं समझी जाती कि हाउस की मंजूरी के बगैर वह इनफोर्स (लागू) न किये जा सकें या उनके ऊपर अमलदरामद न किया जा सकें। अगर वे समझते हैं कि यह राज की चीज है तो वे इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम कोई अमेंडमेंट मंजूर करें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'बना सकती है' के स्थान पर शब्द क 'बनायेगी, जिनको विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी,' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—अब श्री गजन्द्र सिंह का दूसरा संशोधन है। यह उसी तरह का है, इस लिये यह अवैध हो जाता है।

श्री गजेन्द्र सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धारा ८ का (२) जो उपखंड है कि उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये धारा २ में उल्लिखित करों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है, इसको निकाल दिया जाय। जहां तक इस धारा का संबंध है, इस धारा को बड़े ही भूल भुलैयों में डाल कर सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है। कोई भी शासन या कोई भी राज्य या कोई भी सरकार जितने ही सादे ढंग से अपना कानून बनाती है, जितने ही सादे शब्दों में अपना कानूनी बनाती है, वह उतना ही ज्यादा उत्तम हुआ करता है।

उससे देश का हर एक नागरिक सरकार के हर एक कानून को और सरकार की हर एक धारा को समझ पाता है और अगर भूलभुलैयां या शाब्दिक जालों में डाल कर किसी भी कानून या धारा को बांधा जाता है तो उसे देश के चन्द पढ़े लिखे नागरिक ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आम जनता नहीं समझ सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि देश की आम जनता, जबकि हमारे देश में प्रजातंत्र राज्य व्यवस्था है, हर एक कानून जो सरकार का बने उससे जानकारी रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों ने अपनी तनख्वाह को कम किया है और १,५०० से १,२०० कर दिया है मगर दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२३ के अनुसार जो इन्कम टैक्स लगे वह राज्य के खजाने से दिया जायगा, यानी मंत्रियों के वेतन पर जो इन्कम टैक्स लगेगा, और वह तो लगेगा ही क्योंकि इन्कम टैक्स का कानून भारत सरकार का कानून है, वह प्रान्तीय सरकार के खजाने से दिया जाय। मैं समझता हूं कि इन भूल भुलैयों में जनता को नहीं डालना चाहिये। इस तरह देश की जनता की आंखों में धूल डाली जाती है और यह कहा जाता है कि हम लोगों ने तनख्वाह कम कर ली है। लेकिन वास्तव में जब हम इस धारा की असलियत को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कोई भी कमी तनख्वाह में नहीं की गई है। पहले तो इन्कम टैक्स अपनी तनख्वाह से देते थे और अब राज्य के खजाने से दिया जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिये और इस धारा को निकाल देना चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) है। जब दफा २ में यह तय कर दिया गया कि तनख्वाहें इन्कम टैक्स से फ्री हों तो फिर उसके बाद यह सवाल उठाना कि दफा २ को निकाल दिया जाय मुनासिब नहीं मालूम होता। अगर दफा २ पास न हुई होती तो यह ठीक था, लेकिन उसके बाद यह कहना कि इसे निकाल दिया जाय, मेरे खयाल में मुनासिब नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—इस प्रश्न के उपर मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वयं विचार कर रहा था। लेकिन उसमें केवल अड़चन इस बात की मालूम हुई कि दफा २ में यह कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष इन्कम टैक्स तनख्वाह के ऊपर नहीं देंगे, वह नहीं लगेगा। उसमें इस तरह का प्राविजन

[माननीय अध्यक्ष]

नहीं है कि वह कहां से दिया जायगा। परन्तु धारा ८ में यह प्राविजन किया जाता है कि ऐसे नियम बन सकते हैं जिनके द्वारा यह तय किया जाय कि सरकार दे। तो कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि सरकार न दे। फिर जिसको भुगतना हो भुगते। लेकिन यह प्रश्न जरूर रह जाता है कि फिर दिया कहां से जाय। परन्तु यह बात धारा २ के विरोध में सीधे नहीं आती। इसलिये मैं इसको अवैध करार नहीं देता हूं।

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर—अध्यक्ष महोदय, जैसी अभी आपने रूलिंग दी है हिसाब से तो यह सही है कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन बहरहाल, असूल की जो बहस है वह यह है कि आया मिनिस्टर्स की, स्पीकर की और चेयरमैन की तनख्वाहें कुछ कम हुई हैं या नहीं। यह बहस तो पहिले हो चुकी है और इसके मुताल्लिक फैक्ट्स और फीगर्स बतलाये जा चुके हैं। जैसा मैंने अपनी शुरू की स्पीच में कहा था, या मैं हाउस को बतला चुका हूं कि असल में एक कट था कि यहां के वजरा अपनी तरफ से अपनी तनख्वाह के ऊपर साढ़े बारह फीसदी नहीं ले रहे हैं। उनको हरदम अख्तियार था कि वे भी सारी लेते, लेकिन वह वालंटरी कट था। वे अपनी मर्जी से ट्रेजरी से रुपया ले लिया करते थे। लेकिन अब हमने कानून बना दिया है। वह कट अब कानून के जरिये से लाग कर दिया है। अगर वे चाहें भी तो नहीं ले सकते। १,२०० रु० से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी। रह गया इनकम टैक्स का मसला। वह ऐसा मसला है कि पहले तो १,५०० रुपया मिलता था, उस पर इनकम टैक्स लेते थे। लेकिन अब चूंकि १,२०० रुपया तनख्वाह कर दी गई है, इसलिये इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से दिया जायगा। उसके बाद भी हमारी तनख्वाह कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती थी, १,२०८ होती थी। उसको कम करके १,२०० कर दिया गया है। तो जाहिर है कि जब तनख्वाह १,२०० रुपया होगी और वही तनख्वाह चेयरमैन और स्पीकर को भी होगी तो उसके मुताल्लिक रूल का बनाना बहुत जरूरी है कि जो इनकम-टैक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से है और जिसको मुस्तस्ना करने का इस स्टेट को हक़ नहीं है, वह किस तरह से अदा हो। उसी के मुताल्लिक धारा ८ की उपधारा (२) है, जिसमें टैक्स के अदा करने के मुताल्लिक रूल बनाये जायेंगे। मेरे ख़याल में इसमें एतराज होने कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनकी बात मानता हूं कि १,२०० रुपये के बारे में तो कानून पास हो गया है, उसमें कमी नहीं हो सकती है। परन्तु जहां तक टैक्स का सवाल है कि वह सरकारी खजाने से दिया जाय या मंत्री अपने पास से दें, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जितने नियम उन्होंने रखे वे सब पास हो गये। अब अगर वह हमारे मामूली सुझाव को मान लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा कि जैसे १,२०० वैसे १,०००। तो जब १,२०० और १,००० में कोई फर्क नहीं है तो इनकम टैक्स अगर वे अपने पास से ही दे दें तो यह छोटी सी बात है। क्यों खजाने पर इसका बोझ डालें? मुख्य मंत्री इसको मान चुके हैं, न्याय मंत्री भी इसको मान लें।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां मंत्रियों का बिल नहीं पेश है। उपाध्यक्ष को यह मंत्री कहते हैं। वह विषय तो पहले ही पास हो चुका है।

श्री गजेन्द्र सिंह—चूंकि न्याय मंत्री ने यह बिल रखा है, इसलिये मैं उनसे ही रिक्वेस्ट (प्रार्थना) कर रहा था।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि "विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जिसे क्रमशः राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे, दिये जांयगे"

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

श्री जयराम वर्मा---मेरा संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्तावना की पंक्ति ४ में शब्द 'नियत करे' के उपरान्त "अर्ध विराम" का चिन्ह तथा शब्द "दिये जायेंगे" निकाल दिये जांय। लेकिन मैं इसमें थोडा सा परिवर्तन चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कर दूं। अर्द्ध विराम निकालने का जो संशोधन है उसको मैं पेश करना नहीं चाहता । मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि प्रस्तावना की पंक्ति ४ में शब्द "दिये जायेंगे" निकाल दिये जांय।

माननीय श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह एक बरबल (मौखिक) अमेंडमेंट है और यह एक लफ्जी तरमीम है इसमें कोई उसूली बहस का सवाल नहीं है। अगर यह अल्फ़ाज ग़ैरजरूरी समझे जाते हैं तो मुझे इस में कोई एतराज नहीं है, वह जरूर निकाल दिये जांय। संशोधन मुझे स्वीकार है ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह कि प्रस्तावना की पंक्ति ४ में शब्द "दिये जायेंगे" निकाल दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ तथा शीर्षक

संक्षिप्त नाम और आरम्भ,

१---(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२, होगा।
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ और शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

मुझे इस पर कोई बड़ी तक़रीर नहीं करना है। यहां के मेम्बर्स के मुताल्लिक़ यह बिल है और इसकी वही सूरत है जो पहले थी और इसमें कोई तब्दीली पास नहीं की गयी है। सिर्फ यह जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को तवज्जह दिलाई थी कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का नाम भी दफा ३ में शामिल कर दिया गया है कि वे लोग जो मेम्बर की हैसियत से अलाउन्स मिलता है उसको पाने के मुस्तहक़ नहीं होंगे। बाकया सब चीजें वही हैं जो पहली सभा में रायज थीं। लिहाजा मुझे इस वक्त कोई बहुत ज्यादा तक़रीर नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है कि हाउस इस बिल को जरूर पास कर देगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो अभी न्याय मंत्री जी ने विधेयक उपस्थित किया है पूरे के ऊपर विरोध नहीं करना है, लेकिन खंड ३ के लिये मैं चाहूंगा कि वह निकाल दिया जाय। इसलिये इस सिलसिले में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय इस विधेयक के सिद्धांतों पर ही विचार किया जायगा। जब खंड ३ का प्रश्न आवे उस वक्त माननीय सदस्य उस पर बोल सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं जनरल ही बोल रहा हूं। मुझे आप से यह निवेदन करना है कि अभी मैं देख रहा हूं कि दो दिन से यह भवन बड़े गम्भीर प्रश्नों पर विचार कर रहा है, हमारे मंत्रियों और अध्यक्ष के वेतन पर यह सदन विचार करता रहा है और उसको पास भी किया है। अब हमें यह देखना है कि यह बिल जिसके जरिये से सदस्यों का वेतन हम मुकर्रर करने जा रहे हैं प्रांत की संकटमय स्थिति को देखते हुये क्या यह उचित है? मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि जब से इस प्रान्त में कौंसिल या असेम्बली कायम हुई, सन् १९३७ में जिस वक्त पहले पहल कांग्रेस ने राज सत्ता अपने हाथ में संभाली तो यह प्रथा चली कि सदन के सदस्यों को भी वेतन दिया जाय। सन् १९३७ में जो मंत्रिमंडल था उसने सदस्यों का वेतन ७५ रुपये माहवार मुकर्रर किया। तब सदस्यों की संख्या २२८ थी और सन् १९४६ में इसको बढ़ाकर २०० रुपये माहवार कर दिया गया, उस समय भी संख्या २२८ थी। लेकिन जब आज हमारे सदस्यों की संख्या करीब करीब दुगुनी हो गई है तो आज भी वही वेतन कायम करने जा रहे हैं, जो कि पहले समय में था और उस समय संकट का समय नहीं था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया था जब कि उन्होंने मंत्रियों की तनख्वाह का बिल पेश किया था कि हम मंत्रियों, उपमंत्रियों और उपाध्यक्ष का वेतन कम करने जा रहे हैं। लेकिन हम यहां यह देखते हैं कि कमी का तो कोई सवाल ही नहीं है। पहले प्रस्ताव तो यह था कि शायद २०० पर ५० रुपया माहवार बढ़ा दिये जायं। लेकिन मुझे खुशी है कि न्याय मंत्री ने इस चीज को न रख कर जितना था उतना ही रुपया तजवीज किया है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि

आप सोचिये कि हमारे प्रांत की गरीबी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आज ही अखबारों (पायनियर) में यह लिखा है कि एक औरत अपने बच्चे को बेचने के लिये तैयार हो गई सिर्फ भूख की वजह से। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि ऐसे संकट के समय भी हम सदस्यों को २०० रु० माहवार ही देना चाहते हैं। क्या इससे प्रान्त की गरीब जनता का कुछ भला हो सकता है? अगर आप देखें तो मालूम होगा कि ४३० सदस्यों की तनख्वाह २०० रुपया के हिसाब से एक माह की ८६,००० रुपये होती है। इसी तरह से बारह महीने की रकम १०,३२,००० रुपये होती है और पांच साल के वेतन की यही रकम ५१ लाख ६० हजार रुपये होती है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में बहुत ऐसी जरूरी योजनायें पड़ी हुई हैं और खासतौर से देहाती क्षेत्रों में जिनको कि हमारे मंत्री पूरा करना चाहते हैं लेकिन धनाभाव के कारण नहीं चला पा रहे हैं। मैं आपसे यह कहता हूं कि ५१ लाख ६० हजार रुपया जो आप पांच साल में हम लोगों के ऊपर खर्च करेंगे यह देश सेवा के लिये या अपने क्षेत्रों के रहने वालों की सेवा के लिये दे दें। मैं आपके द्वारा सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आज जो हमारे प्रान्त की दशा है और खासतौर से देहात में कांग्रेस सरकार ने जो पंचायतें बनाई हैं और जिनके जरिये से हमारी सरकार ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिये कोशिश कर रही है वह चीज यह है कि मैं जब पहली असेम्बली का सदस्य था तो उस समय अर्ज किया था हमारे जो अध्यक्ष हैं पहले वह इसके मंत्री थे उनसे मैंने प्रार्थना की थी कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह पंचायतों के कर्मचारियों को रुपया दे। सरकार उनके कर्मचारियों जैसे सेक्रेटरी और इंसपेक्टर्स वगैरह की तनख्वाह जनता पर टैक्स लगाकर अदा कर रही है। ऐसी दशा में क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि यह ५१ लाख रुपया इन ग्राम सभाओं को दे दिया जाय और ग्रामोत्थान के कार्यों को तरक्की करने के काम हैं उनमें यह रकम लगाई जाय। मैं समझता हूं कि इससे जनता को बड़ा लाभ होगा।

मेरे बहुत से भाई कह सकते हैं कि मुझे २०० रुपये के न मिलने से कठिनाई नहीं होगी। मैं भी यहां कह सकता हूं कि मैं भी एक साधारण सदस्यों की तरह से हूं। हमारी आमदनी भी जमींदारी खत्म होने के बाद से वही रह गई जिस तरह से कि आज उन सदस्यों की है जो कि इस सदन में मौजूद हैं। हमारी आमदनी जो खत्म कर दी गई है उसका मुझे दुख होना चाहिये था, लेकिन यह जनता के हित में बताया जाता है किया गया है इसलिये मैं समझता हूं यह ठीक ही किया गयाहै। मुझे यह कहने में शर्म नहीं मालूम होती कि अब हमारी स्थिति वह नहीं है जो कि हमारे ऊपर इन दो सौ रुपयों का असर न पड़े। मुझ पर भी इसका असर पड़ेगा और खासतौर से उस वक्त जरूर पड़ेगा जब कि गवर्नमेंट ने ४० साल के बान्ड्स रखे हैं और नौ महीने तक वह नहीं मिल जाते जरूर असर पड़ेगा।

आज आप देखते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें किस तरह से चलती हैं। ग्राम सभाओं के सभापति आज किस तरह से बगैर तनख्वाह लिये हुये जनहित का कार्य कर रहे हैं। क्या हम और आप नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपको टी० ए० अवश्य मिलना चाहिये, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे तनख्वाह मिले ऐसे समय में जब कि जनता कितनी परेशान है। वह रुपया हम पर खर्च किया जाय, यह मुनासिब नहीं है। हमें सरकार से यह कहना चाहिये कि जो रुपया वह हमारे ऊपर खर्च करने जा रही है वह ग्राम-क्षेत्रों में खर्च करे। क्या इस रुपये से हम इनकी अधिक सेवा नहीं कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमने दो सौ रुपये तुम्हारे लिये खर्च कर दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि जो भाई शहरों से यहां चुनकर आये हैं उनके लिये तो यह रकम कुछ नहीं है, लेकिन जो देहात के रहने वाले हैं उनको मालूम है कि इससे कितना लाभ जनता का हो सकता है।

यदि हमारी सरकार मान जाय और हमारे न्याय मंत्री मान जायं और यह ५१ लाख ६० हजार रुपये की रकम ग्राम पंचायतों के बजट में रख दी जाय तो इससे ज्यादा अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मैंने इसलिये ये प्रस्ताव नहीं रखा

[राजा वीरेन्द्र शाह]

कि अपोजीशन के लिये जरूरी है कि सरकार अगर कोई बिल पेश करे तो उसमें जरूर कुछ न कुछ नुक्त चीनी होनी चाहिए। मेरा कतई यह मंशा नहीं है। मैं यह कहता हूं कि जुलाई में सरकार फिर कहेगी कि ग्राम पंचायतों के लिये रुपया नहीं रहा। मैं ग्राम पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारा कार्य कुछ नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने कर्मचारी रखे हैं उनको १४ महीने से वेतन नहीं मिला है और वे परेशान रहते हैं। आप बतलाइये कि साधारण आदमी अगर १४ महीने तक वेतन न पाये तो क्या जनरोवा करे। वह तो १४ महीने बगैर वेतन रह सकता है लेकिन हम बगैर दो सौ रुपये के नहीं रह सकते। हमारी सरकार ने हमारे रहन-सहन के लिये एक बड़ा अच्छा महल भी तो बनवा दिया है दारुलशफा में। उससे सस्ता हम कहीं रह नहीं सकते। यह सब मिलाकर जितना टी० ए० और डी० ए० यहां मुकर्रर किया गया है उसमें हम लोग बखूबी रह सकते हैं और मैं हमेशा के लिये तो कहता भी नहीं। एक विशेष संकट-काल के लिये मैं कहता हूं कि आपको विचार करना चाहिये और पांच साल के लिये आप इन रुपयों को ग्राम पंचायतों में लगा दें तो अत्युत्तम हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां--स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज आपकी रहनुमाई में यहां कुछ कहने का मौका मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष--आप पंखे की आड़ में बैठते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां--मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी पुरखुलूस रहनुमाई में इस भवन के डिबेट का स्टैंडर्ड काफी बढ़ जायगा और इसमें हमें आपकी रहनुमाई मिलती रहेगी।

जनाबवाला, तीन रोज से जो मुबाहिसा मंत्रियों, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, उप-मंत्रियों, चेयरमैन, स्पीकर और दूसरे अधिकारियों की तनख्वाहों के मुताल्लिक होता रहा वह मैं बहुत गौर से सुनता रहा। इस मुबाहिसा के अन्दर हमें बहुतसी रोशनी मिली, बहुत से नये-नये सरमन्स (धर्मोपदेश) हमें सुनने को मिले और इससे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। अभी मुझ से पहले मेरे दोस्त फरमा रहे थे और मेम्बरों की तनख्वाह के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पुराने दोस्तों की बातें सुनने और उनके साथ मामलात पर बातचीत करने पर इन्सान को कुदरतन बड़ी खुशी हासिल होती है। मगर मुझे कुछ इस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि इस वक्त मेरे दोस्त ने जो तकरीर की है उस तकरीर को अगर मैं इस भवन के अन्दर न सुनता, बल्कि इन गैलरीज में बैठ कर सुनता तो ज्यादा अच्छा हुआ होता। इस वक्त बहस यह है कि जो सदस्य इस भवन के नये होकर आये हैं इनको क्या तनख्वाह दी जाय और क्या भत्ता दिया जाय और इनके लिये किस किस्म का कानून बनाया जाय। इससे पहले बिल पर बहस हुई है जिसमें मंत्रियों, चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाहों का जिक्र किया गया था। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से यह भी बतलाया गया था कि हकीकत में उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। इस वक्त जो बिल हमारे सामने है उसमें ऐसा कहा जाता है कि मेम्बरों की तनख्वाहों में कोई कमी नहीं की गई है और चूंकि मेम्बरों की तादाद इस भवन के अन्दर दुगनी से ज्यादा हो गई है, इसलिये इसमें कमी होनी चाहिये थी। मेरे दोस्त ने जो अभी भाषण दे रहे थे यह नहीं फरमाया कि मेम्बरों की तनख्वाहों में कितनी कमी की जाय। उनका फरमाना यह था कि चूंकि सूबे की फायनेन्शल कंडीशन (आर्थिक स्थिति) ऐसी नहीं है कि आज हम इतनी तनख्वाहें जो अब तक मेम्बरों को देते रहे हैं, देते रहें। अव्वल तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर सूबे की माली हालत नाकई खराब है जैसा कि मेरे दोस्त फरमा रहे थे तब भी अपनी जगह पर यह दलील

कोई दलील नहीं हो सकती है कि जो लोग यहां आकर अपना वक्त देंगे और इस सूबे के लिये कानून बनायेंगे उनकी तनख्वाहों में महज इसलिये कमी कर दी जाय कि सूबे की माली हालत खराब है। अगर सूबे की माली हालत खराब है या खराब होने का अंदेशा है तो जो भी कानून बनाये जायं या बजट पास किया जाय उनके अन्दर इस बात का ख्याल रखा जाय कि हमें किफायतशारी करनी है न कि सिर्फ मेम्बरों की तनख्वाहों में ही कमी कर दी जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष--लेकिन माननीय सदस्य जो भाषण कर रहे हैं वे अभी बैठे नहीं हैं इसके यह मानी हैं कि वे आपको अपने भाषण के बीच में समय नहीं देना चाहते। आप जो कुछ कहना चाहें वह बाद में कह सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां--दूसरी चीज जो इस सिलसिले में कही गई है वह यह है कि इस हाउस के अन्दर जो मेम्बरान हैं वे काफी तादाद में आ गये हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आयन्दा इस भवन में इस सिलसिले में और क्या मुबाहिसा होगा और हमारे जिस दोस्त ने ये खयालात फरमाये हैं वे अपोजीशन दल के सदस्य नहीं हैं। उस दल ने जो इस भवन का मेन अपोजीशन (मुख्य विरोधी) दल है उसने अभी तक इस सिलसिले में अपने खयालात का कोई इजहार नहीं किया है। अभी तक कोई तक़रीर उन बेञ्चेज से नहीं आई है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जो दोस्त अभी तकरीर फरमा रहे थे, मैं जानता हूं कि वे एक बहुत बड़े जमींदार हैं, मैं भी गो उनके साथ कुछ पहले बैठता था। जब भवन में जमींदारी के मुआविजे का सवाल आया था तो उन्होंने बावजूद इसके कि वे समझते थे कि सूबे की माली हालत खराब है, बड़े जोर से इस बात की वकालत की कि जो मुआवजा जमींदारों को दिया जा रहा है वह और ज्यादा दिया जाय। मैं इसे नहीं कह सकता कि उनकी यह मांग ग़लत थी, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले उन्होंने ऐसा मतालबा इस भवन में किया था और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त उन्होंने ऐसा मतालबा किया था उस वक्त क्या उनके सामने सूबे की कोई रोजी पिक्चर थी ? इसके मुताल्लिक जनाबवाला, मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि मेम्बरान की तनख्वाह के मुताल्लिक जो कानून बनाया जा रहा है वह सही है। बल्कि मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस सिलसिले में और थोड़ी फराखदिली होनी चाहिए। हम लोग जो कि इस असेम्बली में बैठते हैं तो कोई चीज अगर हमसे मुताल्लिक है तो इसके मानी यह नहीं हैं कि हम कोई बात सही सामने न लायें, उसको इस वक्त छिपायें और बाद में उसको महसूस करें। यह वाक़या है कि इस असेम्बली और भवन का काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साल भर में कम से कम ६ महीने और इससे भी ज्यादा इसके लिये या कमेटी मीटिंग्स के सिलसिले में यहां लखनऊ रहना पड़ता है। मुझे गुजिश्ता १६-१७ साल का तजुर्बा है। मैं देखता हूं कि काम रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। काम की नेचर और उसकी वाल्यूम बढ़ती ही जा रही है। यह भी वाक़या है कि अभी तक सही मानों में हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं हुई थी। अभी तक हमारे मुल्क की पालिटिक्स राजनीत में लेजिस्लेटर्स का कोई फंक्शन (कार्य) नहीं था लेकिन मैं अब महसूस करता हूं कि लेजिस्लेटर होना आज एक मुस्तकिल किस्म का पेशा हो गया है। पेशा वह होता है जिसमें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्फ करना पड़े, जिसके सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा मेहनत और कोशिश करनी पड़े और उसके सिलसिले में रुपये का सर्फा हो। इसलिये मैं कहता हूं कि जिसके लिये ६ से ८ महीने तक लखनऊ में रहना पड़े वह सही मानों में प्रोफेशन ही है ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो मालूम होगा कि वहां जो लेजिस्लेटर्स हैं वे एक खास किस्म के लोग होते हैं। यह लाजिमी नहीं है कि हमारे यहां भी ऐसा ही हो। हमारे मुल्क में अभी इसके लिये आदमी नाकाफी हैं और हम उनको गुजारे के लिये ज्यादा रुपया भी नहीं दे सकते। यह सही है कि इस भवन में ऐसे भी लोग हैं जो २०० रुपया न लेकर भी अपने पास से खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस बिल के पास होने के बावजूद भी वे इस फरागदिली से काम ले सकते हैं। अगर वे चेरीटेबिल (दानी) बनाना चाहें तो ऐलान कर दें कि हम वह तनख्वाह नहीं लेंगे तो उनके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं आती। अगर कोई पार्टी के उसूल पर किसी सूरत में इस बात पर जोर देता है कि हम बावजूद इस ऐक्ट के पास हो जाने के भी जिसमें मेम्बरों के लिये दो सौ रुपये लेने की बात रखी गयी है एक पैसा भी तनख्वाह नहीं लेंगे, या १०० रुपये तनख्वाह लेंगे या १५० रुपये तनख्वाह लेंगे, तो यह एक बड़ी अच्छी चीज होगी, बड़ी अच्छी सूरत होगी, क्योंकि इसी सूबे के बुजुर्ग जिनकी हम सब लोग बिला पार्टी के लिहाज के इज्जत करते हैं उन्होंने सूबे में एक मिसाल पेश की है। मैं इस मौके पर आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम लेना चाहता हूं। जब वे लखनऊ यूनीवर्सिटी के वायस-चांसलर मुकर्रर हुए तो उनको २,४०० रुपये तनख्वाह मिलती थी लेकिन उन्होंने अपनी तनख्वाह कम की। मैं ठीक नहीं कह सकता कि वे कितना लेते थे लेकिन अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वे छोड़ देते थे और कुछ हिस्सा लेते थे। दूसरी मिसाल इसी भवन के माननीय मंत्रियों ने खुद पेश की है। गुजिश्ता तीन-चार साल में बावजूद १,५०० रुपये तनख्वाह होने के उन लोगों ने अपनी तनख्वाहों में वालंटियरी कमी करायी और वे लोग शायद साढ़े बारह सौ या इसी के करीब लेते थे। तो मेरा कहना यह है कि किसी कम्पल्शन के जरिये किसी से सैक्रिफाइस (त्याग) नहीं कराना चाहिए। कोई कानून बना कर किसी को कम्पेल नहीं करना चाहिये कि वह इतना सैक्रिफाइस करे। इसलिये मुनासिब यह मालूम होता है कि हम जो भी काम करें वह वालंटियरी तौर पर ही करें तो बेहतर होगा।

जनाबवाला, इस भवन के रुख को देख कर मुझे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन यह बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि आम तौर से हमारे लेजिस्लेचर के जो मेम्बर्स हैं, जहां तक उनके रेजिडेंस का ताल्लुक है उनको बड़ी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं। हमारा यकीन है कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इसलिये कि एक कौंसिलर्स रेजिडेंस पहले था, एक दूसरा भी बन गया है मगर इसमें कोई प्राविजन नहीं रखा गया है। अब मेम्बरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि एक कौंसिलर्स रेजिडेंस में जगह न मिलने पर अक्सर उनको बाहर ठहरना पड़ता है और तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब नहीं होगा अगर मैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट से यह अर्ज करूं कि जहां तक कि मेम्बरों के रेजिडेंस का ताल्लुक है उनकी तरफ गवर्नमेंट को खास तौर से तवज्जह करनी चाहिए।

दूसरी तरफ आमतौर पर जो मेम्बर कौंसिलर्स रेजिडेंस में जाकर ठहरते हैं उनको तकरीबन ४५ रुपया माहवार देना पड़ता है। अब आप सोचें कि जिसको दो सौ रुपये तनख्वाह मिलती है उसका ४५ रुपया मकान किराये में ही निकल जाता है, तो यह उसकी तनख्वाह के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो मैं बड़े अदब के साथ गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये कायदा है कि उनकी तनख्वाह के १/१० से ज्यादा मकान का किराया नहीं लिया जाता उसी तरह से कौंसिलर्स रेजिडेंस का किराया भी मेम्बरों की तनख्वाह से १/१० काट लिया जाया करे तो

मैं समझता हूं कि इससे मेम्बरों को कुछ सुविधा हो जायगी, कुछ आसानी हो जायगी और उनकी दिक्कतें कुछ हद तक दूर हो जायंगी।

जनाबवाला, यह ऐक्ट जो पास हो रहा है इसके मातहत रूल्स भी बनाये जायंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसके अन्दर यह प्राविजन रखा गया है कि जब ये रूल्स बन जायेंगे तो वे हाउस की मेज पर भी रखे जायंगे। मेरे उन दोस्तों को ख़ास-तौर से इससे मशर्रत हासिल होगी जिन्होंने पिछले बिलों के मौके पर इस सिलसिले में संशोधन पेश किये थे कि जो रूल्स बनाये जायं वे हाउस के सामने रखे जायं। अब वे रूल्स इस हाउस के सामने रखे जायंगे। बहरहाल, मेम्बर्स सैलरी बिल का हम सब लोगों से ताल्लुक़ है। ऐसा कोई नहीं है जिसका उससे ताल्लुक़ नहीं हो। वे रूल्स इस हाउस के सामने रखे जायंगे और हमें तरमीम व तनसीख करने का मौका मिलेगा। वे रूल्स सब की मुआफिकत से पास किये जायंगे। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने तनख्वाहों का मामला पेश है और वह भी हमारी तनख्वाहों का मामला है। अभी इसके पहले हम लोग माननीय मंत्रियों, माननीय अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष की तनख्वाहों की बात कर चुके हैं। अच्छा हुआ होता कि मुझे उस प्रश्न पर अवसर मिला होता और मैं उसी सिल-सिले में अपनी राय भी जाहिर करता लेकिन इस वक्त मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। कुछ जो बहसें हुई हैं और उनको जहां तक सुनने का मौका मिला है उससे यह मालूम होता है कि इस भवन में बैठे हुये जो हम लोग हैं वे एक दूसरी दुनिया में रहते हैं और जो बाकी सूबा है वह एक दूसरी दुनिया में बस रहा है। एक हजार, बारह सौ रुपया या दो सौ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जहां तक रुपये की कीमत का सवाल है वह कोई बहुत बड़ी रक़म तो नहीं है। अगर हम भी ऐसी हालत में होते जैसी हालत में कि संसार के दूसरे मुल्क हैं तो उसमें यह १,२०० रुपया की रक़म कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं थी। अपने देश में कानून बनाने वालों को कायम रखने के लिये २०० रुपया देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। माननीय मंत्रियों, उपमंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तनख्वाह देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम सरकार के आंकड़ों को देखते हैं तो पता लगता है कि सारे संसार में शायद यही एक मुल्क ऐसा है कि जो सब से ज्यादा ग़रीब कहा जा सकता है। तो फिर ऐसी हालत में हम समझते हैं कि हमारी यह तनख्वाह बहुत बड़ी है। जब गांव के लोग यह सुनते हैं कि जिन्हें उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा है उनको २०० रुपया तनख्वाह मिलेगी और १० रुपया रोज खाने-पीने को मिलेगा तो उन्हें आश्चर्य होता है। तनख्वाह पर तो वह थोड़ी खामोशी अख्तियार करते हैं लेकिन जब यह १० रुपया की खाने की बात सुनते हैं तो जितना वह ताज्जुब करते हैं इसका अहसास नहीं करते। हम समझते हैं और इसका अहसास उधर ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले हमारे साथियों को भी है। इस १० रुपये को गांव वाले यह समझते हैं कि इस १० रुपये में वह क्या खाते हैं? किस तरह से रहते हैं? हमारी ऐसी दशा नहीं है कि जो अच्छी कही जा सके। यहां पर ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों की है जिन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता। करीब-करीब आधी जनता इस सूबे की गरीबी का अनुभव कर रही है। इसलिये यह रक़म बड़ी मालूम होती है। हम यह चाहते हैं कि आप वस्तुस्थिति की तरफ तवज्जह दें और सोच-विचार कर चलने की कोशिश करें।

यह असेम्बली और हमारे गांव दो लाइनों पर न जायं। हम प्रतिनिधि हैं, उस ग़रीब जनता के पैसे सोच विचार कर खर्च करें। सरकार इस बात को भले ही न माने और हाउस में खड़े होकर कह दिया जाय कि आज तक इस सूबे में कोई नहीं मरा। मुझे इस बात को सुनकर खुशी हुई कि वास्तव में कोई भी इस सूबे में भूख से नहीं मरा।

[श्री गेंदा सिंह]

हो सकता है ऐसा हो। एक बड़ी हैसियत के जेरेसाया रह कर ऐसा न हुआ हो। मैंने भी उनके जेरेसाया रह कर कुछ काम किया है और मैं यह समझता हूं कि सचाई को छिपाने की हिदायत नहीं दी गई होगी।

आज आपने सूबे की जो हालत है उससे मुझे यह विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री वाकिफ हैं। मैं यह कहने की गुस्ताखी कैसे करूं कि वह जान बूझ कर उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। मेरी धारणा है कि गरीबी बढ़ रही है। जब सन् १९३७ में पहले पहल कांग्रेस की हुकूमत बनी थी उस जमाने से लेकर जब हम इस जमाने को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि गांवों के मुकाबले ज्यादा उजड़ गये। यह बात सही है कि शहरों में कोई ऐसी बात नहीं है जैसी कि हमारी सरकार समझती है। स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी काफी बढ़ा है। मकान २ मंजिले और १ मंजिले से ३ मंजिले हो गये हैं। आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि रुपया भी पहले से ज्यादा हो गया है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उसमें से कितना किसानों के और कितना खेतिहर मजदूरों के घर में गया। सरकार कहती है कि सूबे में रुपया बढ़ा है लेकिन मैं आपसे अर्ज यह करना चाहता हूं कि रुपया जो बढ़ा है वह दूसरी तरफ बढ़ा है। जो सचमुच इस जनप्रिय सरकार की रीढ़ की हड्डी हो सकती है उस ताकत के पास रुपया नहीं गया है। जो खेतिहर मजदूरों की जांच के लिये उपसमिति बनी थी यदि उसकी रिपोर्ट हमारे सामने होती तो मैं शायद सरकारी आंकड़ों से ही सिद्ध करने की कोशिश करता।

गांवों की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। हमको बहुत दिनों से अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा याददाश्त माननीय मंत्रियों को होगी। उनका जीवन गांधी जी के साथ हमसे ज्यादा गुजरा है और वे गांधी जी के परिग्रह का अर्थ मुझ से कुछ ज्यादा समझते होंगे। मैं यह गुस्ताखी नहीं कर सकता कि यह कहूं कि मैं उनसे ज्यादा समझता हूं। तो यह अपरिग्रह की बात नई ही कही जा सकती है। और संग्रह करना बुरा है। तो क्या हाउस इस पर विचार नहीं कर सकता कि यह १,००० -१,२०० या १५०० अपरिग्रह है? बार-बार गांधी जी इस बात को कहा करते थे और मुझे तो याद है कि जिस समय ५०० से १५०० का फ़ैसला वर्किंग कमेटी ने किया था और जब वे विधान असेम्बलियों में आने वाले थे, तो गांधी जी ने एक मर्तबा नहीं, हरिजन में उन्होंने कई मर्तबा कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि हम यह बहुत बुरा उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। जब सारा मुल्क गरीबी के चंगुल में फंसा हो उस समय हम ५०० से तीन गुनी अपनी तनख्वाह कर लें, क्या यह उदाहरण हम पेश कर रहे हैं? सारा देश आपकी ओर देखता है। आपको भी इसका फख्र है कि पिछले ३-४ महीनों में जो चुनाव हुये हैं जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है उसको भी हमारी सरकार बहुत डींग हांकती है कि ये बहुत ही अपक्षपातपूर्ण हुए। मैं भी इस बात को मान लूं तो जनता ने यह समझा था कि पहले ५ वर्ष बहुत जल्दी के थे और मुसीबत के थे और इसलिये मुसीबत के कारण कांग्रेस की सरकारों ने हमारे लिये कुछ नहीं किया। लेकिन अगले जो पांच वर्ष आने वाले हैं उसमें फिर इन लोगों की बात आयेगी जो गरीब तबका शहरों में है उसकी मुसीबत की बात सुनी जायगी और उसके लिये कुछ इलाज किया जायगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने गवर्नर साहब का भाषण आया, जिसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उससे सारे सूबे को या वहां के बैठने वाले हम लोगों को भी कोई आशा नहीं हुई। अब हम लोगों का मामला बहुत सीधा मालूम हो रहा है कि जनता जहां है वहीं रहे लेकिन हम पांच वर्ष तक जहां रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैंने १२ सौ रुपये और १५ सौ रुपये की बात सुनी लेकिन १,२०० रुपये की बात मेरी समझ में नहीं आयी।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य जो विधेयक सामने है उसी पर विचार करें।

श्री गेंदा सिंह—मैं सदस्यों के वेतन सम्बन्धी मामल पर कुछ कहना चाहता हूं। सदस्यों का वेतन भी मैं समझता हूं कि ज्यादा है और इसलिये ज्यादा है कि हमारा मुल्क ग़रीब है। इसकी ग़लतफहमी नहीं होनी चाहिये कि अगर यह मुल्क ऐसा होता कि इसको बरदाश्त कर सकता तब भी मैं यही कहता। अभी हमारे केन्द्र के माननीय मंत्री लोग विदेशों में गये थे और वहां से उन्होंने जो हमको जानकारी कराई उससे ऐसा लगता है कि अगर तनख्वाहें कम भी रहें तो भी हमारी प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। डाक्टर मुसद्दिक साहब के बारे में मौलाना आजाद का एक बक्तव्य अखबारों में निकला था कि वे शायद सरकार से कुछ नहीं लेते, वे सरकारी गाड़ियों में भी नहीं चढ़ते, किराये की बस में चढ़ते हैं और अपने दफ्तर तक आते हैं और सरकारी मकान में भी नहीं रहते। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह हद से ज्यादा की बात है। लेकिन सुन्दरलाल जी ने जो अभी थोड़े दिन पहले बात कही उसके लिये तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सुन्दर लाल जी न सोशलिस्ट हैं और न कम्युनिस्ट। सुन्दर लाल जी जब चीन से वापस आये थे, तब उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति माओत् से तुंग की तनख्वाह की चर्चा की थी। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है उन्होंने यह कहा था कि वहां १३ गुना से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है। अगर एक रुपया तनख्वाह किसी साधारण आदमी की है तो १३ रुपये से ज्यादा और किसी की तनख्वाह नहीं है। राष्ट्रपति का ओहदा तो सबसे बड़ा ओहदा है और वह १३ गुना तनख्वाह पाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नेशनल इनकम कमेटी की रिपोर्ट के मुताल्लिक, जैसा कि उसमें लिखा है, २५५ रुपये वार्षिक की आमदनी हमारे सारे देश के लोगों की है, हालांकि २५५ रुपये की आमदनी सभी देश के लोगों की समझ लेना एक ग़लत धारणा है। इस सिलसिले में एक देहाती कहावत प्रसिद्ध है। उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक साहब अपने तीन बच्चों को ले करके चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी के पानी का उन्होंने हिसाब जोड़ना आरम्भ किया। नदी के दोनों किनारों का पानी नापने के बाद, फिर बीच का पानी नापा और फिर उसको तीन हिस्सों में कर दिया। इस तरह उन्होंने हिसाब लगा लिया कि पानी तो उतना ही है जितने में बच्चे पार कर जायंगे। लेकिन जब बच्चे नदी को पार करने लगे तो डूब गये क्योंकि पानी जितना किनारे था उतना बीच में तो था नहीं। जब बच्चे डूब गये तो फिर उन्होंने उस पर ग़ौर किया और दूसरे लोगों से कहा। उस पर लोगों ने कहा कि हिसाब इस तरह से नहीं जोड़ा जाता है। पानी तो वैसे घट नहीं जायगा जैसे तुम हिसाब जोड़ा करते हो। उसी तरह से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि श्री जे० सी० कुमारप्पा साहब जैसे हिसाब-किताब वाले आदमी कहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोगों की आमदनी, गांव के गरीबों की आमदनी १२ रुपया सालाना है। वह कोई ऐसे आदमी नहीं जिनके नाम से माननीय सदस्य नावाकिफ़ हों। उनका कहना है कि १२ रुपये आमदनी है। कुछ महंगाई हो गयी है, हो सकता है कि कुछ और ज्यादा हो गयी हो, लेकिन नेशनल इन्कम कमेटी कहती है कि २५५ रुपये है। अगर २५५ रुपये भी हम साधारण आमदनी लोगों की मान लें तो उससे भी विधान सभा के माननीय सदस्यों की आमदनी बहुत ज्यादा होगी। तो हम अपने को उस विशाल समुदाय से अलग करने में कोई खुशी नहीं मानते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रस्ताव तो हम पास हो जाने दें और फिर उसके पास हो जाने के बाद अगर हम न लें तो कोई मजबूरी थोड़े ही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई हीरोइज्म (वीरता) का नमूना पेश करने के लिये तो हम असेम्बली

[श्री गेंदा सिंह]

में नहीं आये हैं। हम तो आये हैं सारे देश के लिये कुछ कहने और करने के लिये। जितना किसी सदस्य को अपने बारे में सोचना चाहिये उतना ही उसे सारे देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम भले ही उस रुपये से इन्कार कर दें लेकिन उससे देश का क्या बनता बिगड़ता है। हम एक सिद्धान्त पर इस बात को कहना चाहते हैं। २०० रुपये माननीय सदस्यों के लिये मैं महंगा नहीं समझता।

हमारे ऐसे भी सदस्य यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने दो हजार, तीन हजार, चार हजार रुपये माहवार की आमदनी की कुर्बानी करके सदस्यता कबूल की है और अगर वे आज भी यहां से छूट पायें, तो उतनी आमदनी महीने में कर सकते हैं। लेकिन आखिर असेम्बली में आने का कुछ फ़र्ज होता है। मैं उस फर्ज को याद दिलाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से बुजुर्ग यहां बैठे हुये हैं और उस फर्ज से वाकिफ़ हैं। राजा साहब ने भी कुछ कहा है। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात राजा साहब ने कही उस बात को हमारे माननीय सदस्य भूल गये। मैं तो कहता हूं कि सरकार का बड़ा बोझ हल्का कर रहे हैं राजा साहब। सरकार अगर इससे फायदा उठाना चाहे तो अरबों के बोझ से बच सकती है। राजा साहब के कहने का मतलब मैंने जहां तक समझा, उनके सामने तो अपनी फिक्र नहीं है, देश की फिक्र है। वह इन दो सौ रुपयों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। वह ज्यादा है या कम है, वह तो कहते हैं कि २०० रुपये ही नहीं चाहिये क्योंकि पांच वर्ष में वह ५१ लाख होता है और ५१ लाख रुपये में कोई बड़ी भारी योजना सिंचाई आदि की बन सकती है। राजा साहब की इस भावना की जितनी भी सराहना की जाय वह थोड़ी है और मैं समझता हूं कि वह भावना कार्यरूप में परिणत होगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो आज जमींदारी का मुआविजा देने का है और अभी मैंने अखबारों में देखा कि मुआविजे के लिये बहुत से हाकिम मुकर्रर किये गये हैं। जमींदारों ने तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी दे दी। अब मुआविजा का फैसला कराने में राजा साहब जैसे लोग कितनी उदारता से काम लेते हैं यह देखना है और मैं कम से कम राजा साहब से तो यह उम्मीद करता ही हूं कि मुआविजे के लिये वह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। ट्रेजरी बेंचेज को तो इस पर धन्यवाद देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके दोस्त अहबाब जिन पर राजा साहब का असर पड़ सकता है वे भी मुआविजे का मुकदमा दायर नहीं करेंगे। मैं तो इसका स्वागत करता हूं और अब तो मैं यह कहूं कि हम लोगों का जो यह कहना था कि सरकार काश्तकारों को भूमिधर बनाने में पैसा लेती है लेकिन जमींदारों के जो सीर और खुदकाश्त और बागात हैं उनको बगैर १० गुना लिये ही भूमिधर बना देती है, मैं इस प्रश्न की भी सफाई चाहूंगा और राजा साहब से निवेदन करूंगा कि आज की सरकार मुआविजा देने के चक्कर में है, उससे कम से कम राजा साहब छुट्टी तो दिला दें और हमारी कृषि नीति का विरोध करना तो बन्द कर दें, जिसके लिये हम जितना ही सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं उससे देश के जमींदारों को कम जिम्मेदार नहीं ठहराते। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला न लटक गया होता तो यह जमींदारी जल्द खत्म हो गयी होती और तमीन के बटवारे का मामला जल्द आया होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले को इतना अटकाया गया कि जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा मामला बहुत उलझन में पड़ गया।

राजा वीरेन्द्र शाह—आन पर्सनल एक्सप्लेनेशन, (व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में) मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जमींदारी बिल हो रहा है या...

श्री गेंदा सिंह—मैं राजा साहब की भावनाओं की कद्र कर रहा हूं और अगर राजा साहब उससे नाराज हैं तो मैं उसे नहीं कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष—थोड़ा सा इशारा अक्लमंदों के लिये काफी है।

श्री गेंदा सिंह—मैं फिर इस बात पर एक बार जोर देना चाहता हूं कि तनख्वाहों से हमारी प्रतिष्ठा नहीं मानी जाय। हमारे देश की परम्परा हो कि जो जितना ही कम लेता है वह उतना ही ऊंचा उठता है और मैं समझता हूं कि अपने देश के अगुआ लोगों को ऊंचा उठना चाहिए। उन्होंने देश का बड़ा हित किया है, उद्धार किया है। अब आज जिस बोझ से हम दबे जा रहे हैं उसे भी दूर करने का उन्होंने दावा किया है। आज गलत या सही जिस तरह से भी हो सके, मेरे कहने से आप गलत तो नहीं मानते, वह चुनकर जनता की तरफ से आये हैं। तो उस जनता की तकलीफ को समझने की कोशिश करें और समझ कर इस सूबे की जनता का उद्धार करें। कम से कम जो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं उनकी तरफ हम लोगों की ऊंगली उठवाने की कोशिश न करें। उंगली उठाई जाती है और अगर बहुत सफेद टोपी खद्दर की हो तो वह समझते हैं कि कोई असेम्बली का सदस्य है और असेम्बली का सदस्य समझने के बाद वह समझते हैं कि वह कमाने वाले आदमी हैं, बहुत धनी आदमी हैं। मुझे जाती तौर पर जानकारी है कि इस भवन के माननीय सदस्यों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको धनी कहना पाप होगा। धनी की श्रेणी में वे नहीं आ सकते। हम अपने को धनिकों में नहीं ले जाना चाहते। मालूम नहीं आगे मुल्क में क्या क्या तब्दीलियां होने वाली हैं और उन तब्दीलियों में मैं अपने दूसरे सदस्यों को धनियों की श्रेणी में ले जा करके पाप नहीं कर सकता। इसलिये दो सौ रुपये की रकम ज्यादा है और हमको यह विचार करना चाहिये कि हम उन्हीं लोगों में से आये हैं जो गांव में भूख से तड़पते हुए और परेशान हैं, जिनके लिये कोई ठिकाना नहीं है।

कुछ दिन पहले रूस की यात्रा का पं० जवाहरलाल नेहरू ने रूस से लौट कर एक किताब "रूस की यात्रा" में जिक्र किया है। उसमें उन्होंने स्टैलिन की तनख्वाह का भी जिक्र किया है। जब हम एक तरफ रूस और चीन की बहुत सी बातों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि वहां पर तानाशाही मनोवृत्ति है और मारकाट का तरीक़ा है लेकिन इसके बाद यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि किस तपस्वी मनोवृत्ति से उन्होंने अपना काम चलाया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रपति की तनख्वाह कम होने जा रही है और वह अब आधी हो गई है। हमारी तो कम नहीं होने जा रही है और पुरानी ही रहने जा रही है। कुछ मन्दी भी आई है और दामों का गिरना भी शुरू हुआ है। क्या हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा? अगर हम लखनऊ में रहते हैं तो खाने-पीने के सौदे में मंदी आई है तो हमें उससे फ़ायदा होगा और साधारण लोगों से अधिक हम फायदा उठावेंगे, क्योंकि हम यहां के सदस्य हैं। इस तरह में समझता हूं कि हमें दूसरे लोगों का काफी ध्यान रखना चाहिये और उसको ध्यान में रख कर हमें अपनी सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए। सरकारी आंकड़े भी हैं। उनमें से आप की याद चौकीदार की तरफ दिलाऊंगा जो ५ रुपये के नौकर हैं और भी हैं और कुछ निजाम ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है कि जितने कम वेतन के आदमी हैं वह उतना ही ज्यादा रोब बरदाश्त करते हैं और उतना ही ज्यादा काम करते हैं और जितना ही ज्यादा वेतन पाने वाले लोग हैं उनको उतना ही काम कम करना पड़ता है और उतनी ही ज्यादा शान-शौकत से रहते हैं। जहां ५ रुपया पाने वाले चौकीदार इस हुकूमत में हैं उसी में २०० रुपया क़ानून बनाने वाले खुद लेवें यह मुनासिब नहीं मालूम होता है।

हर गांव में चौकीदार हैं और यह एक बड़ी समस्या है कि हम किस तरह से ५ से ५० और ५० से ५५ कर सकें, कहां से लावेंगे। इस विषय में बजट के मौके पर विचार-विनिमय करूंगा लेकिन आमदनी के जरिये भी बहुत से सरकार

[श्री गेंदा सिंह]

क हैं। उनमें से एक यह भी हो सकता है कि हम भी कुछ कम करें। हम यह नहीं चाहते और न हमारी पार्टी का यह ख्याल है कि जो लोग विधान सभा के सदस्य चुने जायं वह अपने खाने और किराये के लिये मोहताज बनें क्योंकि इसका भी भयानक परिणाम हो सकता है जिसको राजा साहब महसूस नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वह स्वतंत्र रहें और यह भी चाहते हैं कि वह दूसरों के भरोसे न रहें। अपने खाने, कपड़े और किराये के लिये या उनको अपने बाल-बच्चों की परवरिश के लिये दूसरी तरह की आमदनी से स्वतन्त्र रहना चाहिये। तभी वह यहां के कार्य में उचित राय जाहिर कर सकते हैं और स्वतन्त्र रह सकते हैं। लेकिन उसकी भी तो कोई हद होगी और मैं समझता हूं कि जो हम लोगों की तरफ से आगे संशोधन आवेंगे तो आपको मालूम होगा। थोड़ा कम करने से और मुनासिब रक़म रखने से मैं समझता हूं कि सरकार की शान में कोई बट्टा नहीं लगता। यह न ख्याल करना चाहिये क्योंकि विरोधी दल वालों ने यह संशोधन रखे हैं, इसलिये उन संशोधनों को ठुकरा देना ही शान की बात है। ऐसी बात हो तो कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप देश की हालत पर जरा ध्यान दें। मैं सूबे के उस जिले का रहने वाला हूं जो जिला सबसे ग़रीब है। मैं क्या कहूं मुझे दुख है। अगर ग़लत होता तो न कहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम दो सौ रुपये को बड़ी रक़म समझते हैं और खास तौर से वे लोग जो पूर्वी जिलों से चुन कर आये हैं। भले ही सरकार इनकार करे कि भूख से मौत नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है और भूख से मरने वाले जिस वक्त यह सुनते हैं कि हमारे प्रतिनिधि २०० रुपये माहवार लेते हैं और लखनऊ में दस रुपये रोज खाने के लिये लेते हैं तो वह आसमान की दुनिया में उड़ने लगते हैं कि हमारी यह हालत और उनकी यह...

माननीय अध्यक्ष--अपनी बहस को दुहरा रहे हैं। माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें।

श्री गेंदा सिंह---यह कह रहा हूं कि इन चीजों पर गौर करें और हमें दो दुनिया में रहने के लिये न कहें।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई रोज से जिस विषय पर सदन में वाद-विवाद हो रहा है और इस समय मेम्बरों का सैलरी बिल है उस पर वाद-विवाद हो रहा है उसको मैंने ध्यान से सुना। विरोधी पार्टी के नेता ने और उन बेञ्चों पर बैठने वाले लोगों ने जो कुछ बातें अभी तक कही हैं वे मेरी समझ में कोई नई बात नहीं है। उसी बात को रोज ब्रोज दोहराते हैं, रिपीट करते हैं तो मेरी समझ में ऐसा आता है कि उसी बात को वह एक रटे हुए तोते की तरह बार-बार भवन को सुनाते हैं। मैं अपने भाई से यह निवेदन करना चाहता हूं कि--

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य का इस तरह की उपमा देना कोई पार्लियामेंटरी तरीका नहीं है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर--मैं इसके लिये अफसोस जाहिर करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे तोते शब्द को वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष--खेद प्रकट करने से ही यह मालूम होता है कि वह शब्द उन्होंने वापिस ले लिया।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—मैं अपने भाई से कह रहा था कि आप ऐसे प्रस्ताव लायें, ऐसे सुझाव दें, जो वास्तविक रूप में लोकमत से मान्य हों। पार्लियामेंट और हाउस आफ कामन्स का यह दस्तूर रहा है कि विरोधी पार्टी आवश्यक सोच-विचार करके प्रस्ताव या संशोधन या रिजोल्यूशन लाती है, जो बहुमत पार्टी को मान्य होते हैं। मैं यही कहना चाहता था कि आप भी ऐसा ही प्रस्ताव लायें जो वास्तविक रूप में हमें मानने से इन्कार न हो। लेकिन जिस चीज पर और मेम्बरों के सैलरी बिल पर वाद-विवाद हो रहा है यह मामूली सी बात है। आपको सोचना चाहिये कि २०० रुपया की तनख्वाह आज वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं है। आज से ५ वर्ष पूर्व सन् ४६ में भी यही तनख्वाह थी। हां, सन् ३७ में जरूर ७५ या ८० रुपया माहवार तनख्वाह थी और उस समय गल्ले का भाव बहुत सस्ता था। आज मंहगाई के कारण लोगों का रहन-सहन बहुत ऊंचा हो गया है और २०० रुपये माहवार उस लिहाज से ६५ रुपये माहवार ही होते हैं। मेम्बरों के सैलरी बिल को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यह बहुत थोड़ा है। लेकिन हम लोग यह बात भी नहीं चाहते कि यह इससे ज्यादा बढ़ाया जाय। परन्तु इस बात को उन्हें सोचना चाहिये जो उस तरफ के हमारे भाई यह प्रस्ताव लाते हैं कि यह बहुत अधिक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जिस वक्त में डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के बिल पर वाद-विवाद किया था उस वक्त ध्यान नहीं दिया? आपके जो नेता ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं वे क्या एक हजार रुपया लेकर अपना काम चलाने के लिये तैयार हैं? क्या उन्होंने कोई नजीर उपस्थित की है? लेकिन मुझे अफसोस है कि वे अपनी ओर तो देखते नहीं हैं। महज क्रिटिसाइज (आलोचना) की दृष्टि से वादविवाद करना और सदन का समय नष्ट करना मैं ठीक नहीं समझता।

मैं अपने भाइयों से जो इधर बैठे हुये हैं जो पहले हमारे सहयोगी थे और हम और वे मिल कर एक साथ काम किया करते थे और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं और वे भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज जिस दृष्टिकोण से वे वाद विवाद करते हैं वह वास्तविक रूप में कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी के नेता ऐसे सुझाव दें और इस किस्म के वाद विवाद में दिलचस्पीलें जिस से जनता और देश का कल्याण हो।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे न्याय मंत्री और मुख्य मंत्री उनके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे और उस पर काम करने के लिये तैयार रहेंगे। आज जो बिल आया है वह बहुत सोच विचार कर लाया गया है और उसमें जनता और देश का कल्याण है। इतने शब्द कहते हुये मैं आप से और विरोधी पार्टी के नेता से यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी चीजों में सदन का समय बरबाद न करें जिससे पब्लिक का अनुचित रूप से व्यय न हो। ऐसे संशोधन उन्हें लाने चाहिये जिससे देश का कल्याण हो, जैसे आबपाशी के बिल और उद्योग-धंधों के बिल, जब आयें तो उस पर जरूर अमेंडमेंट लायें, जिससे देश के लिये, मुल्क के लिये लाभ पहुंचे। इतने शब्द कह कर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—मैं क्लोजर मूव (विवादान्तक प्रस्ताव) करना चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, अभी नहीं।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी एक दो भाषण और हो जायं।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के समर्थन में बोलने में जरा झिझक-सी मालूम होती है, क्योंकि यह सदस्यों के वेतन का मसला है और हम लोग खुद ही बैठ कर अपनी राय से इसको तय करने जा रहे हैं लेकिन जब यह कर्त्तव्य हो ही जाता है जिसे हमें और आपको निष्पक्षता के साथ करना है फिर उस झिझक को हटा कर बात करनी चाहिये और इसलिये उस झिझक को हटा कर बातें करना चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह ने जो विचार अपने रखे हैं वह मुझे बहुत सुन्दर मालूम पड़े, इसमें शक नहीं है। मेरे दूसरे भाई सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो बोले वह भी ऐसे ही सुन्दर

[श्री विष्णु शरण दुब्लिश]

सेन्टीमेंट्स (भावनायें) के विचार हैं। असल में अल्पमत वालों के लिये यह बहुत आसान होता है कि वह इस तरह के भावों को रखें, इसलिये कि वे जानते हैं कि जिस पार्टी की तरफ से यह बिल आया है उसमें अगर वे उसका विरोध भी करें तब भी पास हो जायगा लेकिन फिर भी गैलरीज के लिये वह अच्छी बात है और उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं होने का है। मैं आप के द्वारा अपने भाइयों के सामने एक बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे भाई जो यहां आये हैं उनमें किस तरह के लोग आये हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि राजा बीरेन्द्र शाह के क्लास के लोग आवें या कैपिटैलिस्ट या धनवान किस्म के लोग यहां आयें तो हमें इस बिल के खिलाफ वोट देना चाहिये लेकिन अगर हम यह समझते हैं कि जो हमारे देश की जनता के प्रतिनिधि हों, जो गरीब जनता के सच्चे प्रतिनिधि हों वे आवें जो नीचे के और मध्यम श्रेणी के लोगों में से आते हैं, तो हमको ऐसे साधन इकट्ठे करना चाहिये कि वे यहां पर रह सकें।

अभी हम लोग आये हैं, मैं बहुत से मेम्बरों को जानता हूं जिन्होंने एलेक्शन लड़ने में एक एक लाख रुपये खर्च किये हैं लेकिन करीब-करीब दो-चार हजार रूपया तो सभी ने खर्च किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं था तो उन्हें जनता से चन्दा लेना पड़ा या कर्जा लेना पड़ा और कर्जा ले कर खर्च करके यहां आये हैं। जब हम यहां पर आते हैं तो मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि मेरा निजी मामला हो तो दो सौ रुपया बहुत ज्यादा है। जब मैं इस असेम्बली का सदस्य नहीं हूं तो ५०, ६० रुपये में बहुत आसानी से गुजर बसर कर सकता हूं। मेरे दोस्त जो नये आये हैं उनको अभी इस हाउस के सदस्य होने का तजुरबा नहीं है। वह देखेंगे कि उनकी कांस्टीटुयेंसी के बहुत से गरीब लोग, बहुत से गरीब किसान, अपने-अपने मसलों को लेकर आते हैं, जब सेशन होगा तब वहां पर आया करेंगे और उनकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वह बेचारे किसी होटल में ठहरें और कहीं अपने खाने का प्रबन्ध नहीं कर सकते। वे देखेंगे कि उनके कमरे में पांच सात आदमी रोज रहा करेंगे। श्री गेंदा सिंह जी १० रुपये रोज खाने की बातें करते हैं लेकिन जब उनकी कांस्टीटुयेंसी के दो-दो, चार-चार आदमी और दो-दो चार-चार किसान आकर रुकेंगे तब वह महसूस करेंगे कि १० रुपये कोई ज्यादा नहीं है। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड रखा जाता है वह हमेशा सबसे नीचे या सबसे कम स्तर पर के आदमी को देखकर रखा जाता है। मैं जानता हूं कि इस हाउस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन रुपयों की जरूरत नहीं है।

अभी मेरे एक साथी ने जिन्होंने अपनी पार्टी को लिखकर भेजा है कि वह सिर्फ इतना रुपया लेना चाहते हैं और इससे अधिक नहीं लेना चाहते लेकिन ऐसे लोग हैं जो यह नहीं कर सकते। हमें अगर कांस्टीटुयेंसी में जाना न हो और सिर्फ यहां आकर हाजिरी दे कर चले जाना है, तो मैं पाप समझता हूं कि यह दो सौ रुपया या सौ रुपया भी लूं लेकिन हम जिस कांस्टीटुयेंसी से चुनकर आये हैं उन कांस्टीटुयेंसीज में हमें जाकर काम करना है उनमें घूमना है जो हमारे साथी वर्कर्स हैं जो गरीब हैं और अपना समय यों नहीं दे सकते उनका भी भार ले कर वहां पर काम करना है, तो मैं समझता हूं कि दो सौ रुपये देश के फायदे के लिये इस्तेमाल होगा, देश के नुकसान के लिये इस्तेमाल नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि ३-४ दिन हो गये इस तरह के बिलों पर बहस हो रही है, जो बिल आधा घंटा या एक घंटा के अन्दर पास हो जाना चाहिये था उसको आज ३ दिन लग गये, हमारा खयाल यह था कि हम लोग यहां से २७-२८ तक चले जायेंगे और अपनी कांस्टीटुयेंसी में जाकर जो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक काम हम अधूरा छोड़ आये हैं उसको पूरा करेंगे लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम इस बिल को मुखालिफत इसलिये कर रहे हैं कि देश का इससे बड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन जो बिल १ घंटे में पास हो सकता था वह आज तीन दिन से चल रहा है। अगर यही हालत रही तो हम वर्षों तक हाउस का काम खत्म नहीं कर पायेंगे। मेरा खयाल है कि एक दिन की बैठक के लिये १० हजार रुपया खर्च होता है, इस तरह से ७०-८०

हजार रुपया सरकार का खामखा बहस करने में अधिक खर्च हो गया। हर रिजोल्यूशन पर, चाहे उसमें कुछ लगता हो या न लगता हो वही एक बात 'ए' से लेकर 'जेड' तक सोशलिस्ट पार्टी का पूरा प्रोग्राम खड़े होकर दी जाती है। स्पीकर की तनख्वाह, मिनिस्टरों की तनख्वाह, चेयरमैन की तनख्वाह और मेम्बरों की तनख्वाह की मुखालिफत की जाती है। मेरा खयाल है १२ मिनिस्टर हैं, २ स्पीकर और चेयरमैन हैं, एक वर्ष में आपकी मुकर्रिर की हुई रकम से उनका ३५ हजार रुपया के लगभग खर्च अधिक होता है। डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर पर ४ हजार खर्च अधिक होगा। इस तरह से ३९ हजार रुपये के लिये इतनी दुहाई दी जाती है, लेकिन यह ७० हजार रुपया जो जाया कर दिया गया उसके लिये कुछ भी सोचा नहीं जाता। इसलिये मेरे अपोजीशन के साथियों को जो भी कुछ कहना चाहिये, बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए।

किसी डेमोक्रेटिक देश में अपोजीशन हाउस का एक आवश्यक अंग है। मैं यह महसूस करता हूं कि यहां के अपोजीशन के मेम्बरों की संख्या बहुत थोड़ी है उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिये। यह भी मैं महसूस करता हूं कि उनमें से एक आध को छोड़कर सब नये नये आये हैं और उनका शुरू-शुरू में बोलने का शौक होना स्वाभाविक ही है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात और भी बतला देना चाहता हूं कि हम लोग, जो यहां हैं, इस हाउस में बैठे हैं उनके प्रति अपोजीशन का कर्त्तव्य है कि हमारी जो भी त्रुटियां हों उनको वे हमारे सामने रखें। इस तरह की चीज तभी होगी जब वे सोच समझ कर बोलेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे दिल में आपकी कद्र हो जायगी और मुमकिन है हम अपनी गलती को सुधार भी लें। लेकिन जिस तरह से आजकल वाद विवाद चल रहा है अगर उसी तरह से वाद-विवाद चलता रहा, तो उसका नतीजा यह होगा कि हमें यह खयाल पैदा हो जायेगा कि ये तो ऐसा ही लंबा चौड़ा बोलते हैं और वही पुरानी बातों को दोहराते हैं। उसका नतीजा यह होगा कि जो बात ध्यान देने योग्य होगी वह भी सुनने से रह जायगी और जो अच्छी बात भी होगी वह हमारे कान तक नहीं पहुंच पायेगी अभी इसी बिल के सिलसिले में एक ही प्रकार के अमेंडमेंट बार-बार पेश किये गये। अगर बार-बार अमेंडमेंट रखने ही थे तो खड़े होकर यह ही कह सकते थे कि इस बिल में, जो हमने संशोधन रखे हैं उनकी मुखालिफत में हमारी वही दलील है जो हम पहले दे चुके हैं। फिर इधर से भी किसी बात को कहने की जरूरत महसूस नहीं होती और सिर्फ यही कह दिया जाता कि इस अमेंडमेंट की भी हम उन्हीं वजूहात पर मुखालिफत करते हैं जिन पर पहिले की थी, तो आप समझ लीजिये कि कितनी जल्दी हमारा काम हो जाता। अभी अगले सैशन में जब बजट हमारे सामने आयेगा तो हमें हर डिपार्टमेंट पर बोलने का मौका मिलेगा। हर विभाग की आलोचना करने का मौका मिलता है। वे अभी इस हाउस के काम को जल्दी खत्म करायें और सब डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैम्फलेट वगैरह मिलते हैं उनको अच्छी तरह से देखें और देख कर इस साइड वालों को मदद दें। अगर उनकी तरफ से सच्ची क्रिटिसिज्म (आलोचना) होगी तो उसकी सराहना होगी और अगर इस तरह की चीज आयेगी तो मैं समझता हूं कि उससे कोई फायदा नहीं होगा।

जहां तक इस बिल का संबंध है मेरा तो अपनायहखयाल है और मैं अपने तजुरबे से कहता हूं कि हम लोग उस क्लास के आदमी हैं जिनकी कोई और आमदनी नहीं है। इस तरह से जो लोग इस साइड में बैठे हुए हैं, मैं अपने मंत्रियों और अपने दूसरे साथियों को अच्छी तरह से जानता हूं जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल (राष्ट्रीय संघर्ष) में काम किया और अपनी सारी उम्र उसी में बिता दी उनकी आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। अगर हमें उनसे काम लेना है तो उनको पैसा देने की जरूर आवश्यकता है। अगर आप अपने देश को, अपने प्रान्त को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो केवल ट्रेजरी बेंच ही उसे नहीं उठा सकता है, वह तमाम काम नहीं कर सकता है। बल्कि जब आप जनता के सामने जाकर अपने देश की हालत को उनके सामने रखेंगे और उनसे जनता का पावर मोबिलाइज (शक्ति गतिशील) करेंगे तभी देश का काम होगा। उसके लिये मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये एतराज पेश किया जाय। हम में से बहुतों ने अपनी सारी उम्रइसी में गवां दी, बहुतों ने तो पैसे की बात कभी सोची तक नहीं, अपने जीवन

[श्री विष्णु शरण दुब्लिस]

की परवाह नहीं की, लेकिन आज देखना यह है कि जब उनको जनता के अन्दर जाकर काम करना है, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा।

जो माननीय सदस्य यहां पर चुन कर आये हैं उनको अपनी कंस्टीटुयेंसी में जाकर काम करना होगा। अगर यहां के मेम्बर लोग यहां से जाने के बाद अपनी कंस्टीटुयेंसी में काम नहीं करेंगे जो वकील हैं वे जाने के बाद अपनी वकालत करेंगे या राजा साहब अपनी जमींदारी का काम देखेंगे, तो मैं कहता हूं कि फिर मैं भी इसका विरोध करूंगा। मगर आपको सोचना है कि हमें जन सेवा करनी है, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से साथी दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं, जो प्लानिंग (संविधायन) वगैरह की स्कीम है उसमें मदद करते हैं। अगर इस तरह से काम करके वे जनता की सेवा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वे देश का अहित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, मैं इस प्रस्ताव पर बहस बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप पेश कर सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

एक सदस्य --मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष---इस पर बहस काफी हो चुकी है। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, अभी इस सिलसिले में जो तकरीर हमारे कांग्रेसी सदस्य ने की है उससे बहुत बातों का जवाब हो गया, जो उधर से की गयी थीं और मेरा काम भी एक हद तक हल हो गया। जाहिर है कि २०० रु० की रकम आजकल के जमाने में कोई ऐसी ज्यादा नहीं है जिसके ऊपर इस वजह से एतराज किया जाय कि यह रकम बहुत ज्यादा है और इसको कम होना चाहिए। मेरे खयाल में १०० रु० तो जो उधर के सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं उनका भी खयाल है कि कम से कम हर शख्स को १०० रु० मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में उन मेम्बरों के लिये जो यहां मुन्तखिब होकर आये हैं उसी के साथ-साथ उनको अपना तमाम वक्त देश की खिदमत के लिये और अपनी कंस्टीटुयेंसीज (निर्वाचन-क्षेत्रों) में काम करने के लिये सर्फ करना होता है। इसके लिये जो २०० रु० की रकम रखी गयी है उसके लिये किसी तरह से भी नहीं कहा जा सकता है कि वह रकम ज्यादा है या यह रकम गलत है। जैसा अभी बतलाया गया है, यहां बहुत से ऐसे मेम्बर भी आये हैं जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र देश की सेवा में ही सर्फ की है और जो मुन्तखिब होकर आये हैं, वे उसी तरह से देश की सेवा करते रहें। इस के लिये यह रकम देना जरूरी है। इस जिम्मेदारी के साथ जो कि उनके ऊपर असेम्बली का मेम्बर होने की वजह से आयद होती है और इसके साथ ही देश के काम की और भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इन सब चीजों को अगर इन २०० रुपयों से भिन्नाया जाय तो यह मालूम होगा कि यह बहुत मामूली रकम है और यह ऐसी रकम है कि जिसके बगैर वह अपनी खिदमत को अंजाम नहीं दे सकते। ऐसी सूरत में मेरा खयाल यह है कि ऐसे बिल पर कोई किसी किस्म का उसूली एतराज नहीं हो सकता। इस वक्त जो मुखालिफत की जा रही है वह गैरजरूरी है।

मुझे मालूम है कि एक जमाना था जब कि यहां पर अंग्रेजों का राज्य था और उस जमाने की असेम्बली के जो मेम्बर हुआ करते थे उनको सिवाय कुछ एलाउन्स के और कुछ नहीं दिया जाता

था, लेकिन जब से हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है, और जब ऐसे लोग आने लगे कि जो जनता के माननीय होते हैं और जनता में काम करते हैं तो उस वक्त यह समझा गया कि जैसा दूसरे मुल्कों में होता है और वहां का तरीका है, उस तरीके को यहां पर भी लागू किया जाय और मेम्बरों की खिदमात के लिये कुछ इन्तजाम किया जाय ताकि वह अपनी कांस्टीटुयेंसी में कुछ काम कर सकें। लिहाजा इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक निहायत कलील रकम २०० रुपये की उनके लिये मुकर्रर की है बहरहाल, जैसा कि बार-बार कहा जाता है, अगर किसी भी चीज की मुखालिफत करनी हो है, जो कि मेजारिटो (बहुमत) की तरफ से आवे तबतो सिर्फ वक्त को ही जाया करना है। अगर कोई उसूल की बिना पर बहस हो और मुखालिफत की जाय, तो वह किसी क़दर सही भी कही जा सकती है। लिहाजा मैं यह अर्ज करता हूं कि यह जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है वह मंजूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खण्ड २

यात्रिक तथा दैनिक भत्ता।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत शर्तों और निरोधों के अधीन, उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री या सभा सचिव (पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी) के पद पर आसीन न हो सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्य तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा:

(१) यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के रेल के किराये का डेढ़ा (१ १/२) होगा और सड़क द्वारा यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के के गज़ेटेड आफ़िसर्स को मिलने वाली दर से मील अनुसार भत्ता (माइलेज); और

दैनिक भत्ता जो मैदान में दस रुपये की दर से और पहाड़ पर पन्द्र रुपये की दर से होगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का भाग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

वेतन

उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-मंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति, या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, धारा २ में अभिदिष्ट यात्रिक और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त प्रति मास दो सौ रुपया वेतन पाने का अधिकारी होगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त वेतन में निरन्तर अनुपस्थितिया किसी अन्य कारण से जिसकी भी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में व्यवस्था की गयी हो, इस वेतन में से कटौती की जा सकती है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में पेश करना चाहता हूं। वह इस तरह कि खंड ३ की पंक्ति ५ में शब्द "कि" के उपरान्त के शब्द "उक्त वेतन में" निकाल दिये जायं। ये शब्द अनावश्यक हैं, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो शब्द "इस वेतन" हैं इनसे काम चल जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर---ये शब्द निकाल दिये जायं तो कोई हर्ज नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष---आपको यह स्वीकार है ?

माननीय श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ५ में शब्द "कि' के उपरान्त शब्द "उक्त बोर्ड में" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री लेखन राम गुप्त---मैं इस संशोधन के विषय में एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना (वैधानिक प्रश्न उठाना) चाहता हूं, वह इस प्रकार है । यह श्री गजेन्द्र सिंह जी का जो संशोधन है कि खंड ३ के अन्त में कुछ शब्द बढ़ा दिये जायं, यह अनियमित है । इसका कारण यह है कि धारा ३ जो कि बिल की है उसमें जो यह लिखा हुआ है "प्रति मास दो सौ रुपया वेतन पाने का अधिकारी होगा" इस को हमारे सदस्य मान चुके हैं । इसके बाद वे कहते हैं कि खंड ३ के अन्त में ये शब्द बढ़ा दिये जायं "यदि किसी सदस्य की निजी आमदनी २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक होगी तो उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा और यदि उसकी आमदनी ८०० रुपये से अधिक और १,००० रुपये से कम होगी तो उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपये मासिक हो सके लेकिन किसी सदस्य का मासिक वेतन १५० रुपये से अधिक न होगा ।" निवेदन यह है कि यह संशोधन क्लाज ३ से बिलकुल कानट्रेडिक्टरी (विरोधात्मक) है । वहां तो मान लेते हैं कि दो सौ रुपया मासिक वेतन दिया जाय । उसके बाद वे कहते हैं डेढ़ सौ रुपया से बेशी किसी हालत में न दिया जाय । इस प्रकार यह संशोधन, जो मूल क्लाज है, उसका कानट्रेडिक्टरी है । इसका नीचे का जो पोर्शन (भाग) है बिलकुल वेग (भ्रमात्मक) है । इस वास्ते यह संशोधन अनियमित करार दिया जाय ।

माननीय अध्यक्ष---माननीय गजेन्द्र सिंह जी अगर इस प्वाइन्ट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति) के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं ।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो संशोधन है वह अपनी पोजीशन को क्लियर (स्पष्ट) कर रहा है । हमने यह कहा है कि १ हजार रुपया मासिक आमदनी वालों को तो कुछ नहीं मिलना है । लेकिन इसके नीचे आमदनी वालों को.....

माननीय अध्यक्ष---यह तो ठीक है । आप समझे नहीं । बात यह है कि आप खंड ३ के अन्त में ये शब्द जोड़ना चाहते हैं । यदि आप यह कहें कि खंड ३ के स्थान पर यह रख दिया जाय तब तो स्पष्ट हो जाता है । लेकिन खंड ३ का वर्तमान भाग भी कायम रहे और आपके शब्द भी जोड़ दिये जायं तो वह असम्बद्ध सा हो जाता है । इसके बारे में आप को कुछ कहना चाहे वह कहें ।

श्री गजेन्द्र सिंह---तो आप इसमें संशोधन कर दीजिये ।

माननीय अध्यक्ष---मैं क्यों करूं ?

श्री गजेन्द्र सिंह---तो आप मंजूर करलें ।

माननीय अध्यक्ष---तो आप स्वयं मूव (प्रस्ताव) करें । आप इसके लिये आज्ञा लें कि मैं उस संशोधन के साथ इसको पेश करना चाहता हूं ।

श्री गजेन्द्र सिंह---श्रीमान् जी, खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"किसी सदस्य.....

माननीय अध्यक्ष—मैं इसको अवैध क़रार देता हूं।

श्री सत्यसिंह राणा—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ इस विधेयक में से निकाल दिया जाय। भवन के सदस्यों की जानकारी के लिये मैं खंड ३ पढ़े देता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-मंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, धारा २ में आभिदिष्ट यात्रिक और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त प्रति मास दो सौ रुपया वेतन पाने का अधिकारी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त वेतन में निरन्तर अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से जिसकी भी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में व्यवस्था की गयी हो, इस वेतन में से कटौती की जा सकती है।"

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक के सिलसिले में बहस के दौरान हमारे बहुत से सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है और बहुमत के पक्ष के सदस्यों ने तो खास तौर पर बड़ी बैचैनी इस बात की जाहिर की कि ख्वाहमख्वाह विरोधी पक्ष के लोग बहस करके इस पर वक्त जाया कर रहे हैं। दो तीन दिनों से मिनिस्टर साहबान की तनख्वाह और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के भत्तों और वेतन के बिलों पर बहस जारी रही। इन बिलों के सिलसिले में हम लोगों ने कोई खास एतराज पेश नहीं किया। मैं यह कहता हूं कि हमारी स्थिति मंत्रीगण और सरकारी कर्मचारियों से बिलकुल भिन्न है। हमारे माननीय मंत्रीगण चौबीसो घंटे काम करते हैं। उनको वेतन मिलना आवश्यक है। सरकारी कर्मचारी लोग भी पूरे समय काम करते है उनको भी वेतन मिलना आवश्यक है। हम लोगों के ऊपर हमारी जनता ने बड़ी भारी जिम्मेदारी रख कर इस भवन में भेजा है कि हम उनके भाग्य का निर्णय करें। ऐसी हालत में उन्हीं के खून और पसीने के पैसे को अपने वेतन के रूप में निर्धारण करना हमारे लिये कोई आसान बात नहीं है। और इस पर सोचना अहम जरूरी है कि हम लोग सही माने में पैसे लेने के अधिकारी हो सकते हैं या नहीं। यह मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि संविधान की धारा १९५ में लेजिस्लेचर्स और कौंसिलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि इनके सदस्य अपने भत्तों व वेतन के विषय में विधान बना सकते हैं। मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। उसी धारा के अन्तर्गत हमारे न्याय मंत्री ने यह विधेयक उपस्थित किया है, लेकिन साथ ही इसके यह भी है कि यह संविधान की धारा १९५ के विरुद्ध न होगा कि अगर कोई माननीय सदस्य वेतन लेना उचित नहीं समझते हैं तो सदन उसे नियत न करे। श्रीमान् जी, जैसा मैंने अर्ज किया, माननीय न्याय मंत्री ने भी इस बात का इजहार इस सदन के सामने किया कि जो वेतन सदस्यों के लिये मुकर्रर किया जा रहा है वह न्यूनतम है, नाकाफ़ी है। यहां तक कि हमारे बहुमत पक्ष के एक माननीय सदस्य ने जिनका नाम मैं नहीं जानता, कहा कि एक हजार रुपया भी सदस्य को वेतन का दिया जाय तो भी कम है। मैं भी इस बात से पूरा सहमत हूं। सदस्यों के कार्य क्षेत्र की विशालता को देखते हुये और जनता की सेवा उनके शारीरिक, मानसिक और वाचिक प्रयत्नों का अन्दाजा लगाते हुये और अपने सदस्यों के इस दृढ़ संकल्प को देखते हुये कि हमारा प्रजातंत्र एक दृढ़ राज्य बने, यह वेतन जो नियत हो रहा है वह बिल्कुल नगण्य सी चीज है। यह तो कोई वेतन नहीं हुआ। ताहम चूंकि संविधान में इसके लिये आदेश है जिसके अन्तर्गत यह विधेयक उपस्थित हुआ, मैं वैधानिक रूप से इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता।

मैं तो इसी बात पर आता हूं जिसे बहस के दौरान हमारे माननीय सदस्य विक्रम शाह जी ने कहा है। मैं मुल्क की स्थिति से आप लोगों को क्या अवगत कराऊं? आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हालत लोगों की है। आप तो खुद ही जानते हैं कि जनता भूख से तड़प रही है। उसके लिये सरकार कोई साधन पैदा नहीं कर पा रही है। सरकार के पास बहुत सी योजनायें हमारे आर्थिक विकास के लिये तैयार की जाती हैं। ऐसी अवस्था

[श्री सत्य सिंह राणा]

में अगर हम अपनी इस नौमिनल सैलरी (नाम मात्र वेतन) के बारे में यह निश्चित करें कि हम इसे न लें तो मेरा खयाल है कि इस धनराशि से उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इस बात का याद दिलाना सदन को जरूरी नहीं कि हमारे आदर्श नेता जिनमें बहुत से सदन के सदस्य भी हैं हमेशा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं कि हमारा प्रजातंत्र राज्य अभी शैशव अवस्था में है। उसकी नींव अभी कमजोर है और सरकार के पास ऐसी कोई जादू की लकड़ी नहीं कि एक ही रात में उसे फेर कर देश को खुशहाल बना दे। यह ठीक है किन्तु मैं यह कहता हूं कि अगर आदर्श आप लोग सिखाते हैं तो उनपर अमल भी तो करना चाहिये।

अभी दो चार दिन पहले महामान्य राज्यपाल का इस सदन के सामने अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण पर धन्यवाद का संकल्प प्रस्तुत हुआ और उस संकल्प के संबंध में विरोधी पक्ष की तरफ से कई एक संशोधन प्रस्तुत हुये। यह कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि उन संशोधनों में कोई तथ्य नहीं था, उनके अन्दर कोई सार नहीं था, क्योंकि वे गिर गये हैं। बहुमत का बल है। यह हम मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं कि जब सदन के सामने वे गिर गये तो हमें दोबारा कुछ न कहना चाहिये और उन्हीं के अनुसार हम अमल करें, जो बातें सदन में तय हो गयीं। लेकिन जब हमारे संशोधनों के उत्तर में बहुमत पक्ष से बड़े बड़े आक्षेप और कटाक्ष हुये और यह कहा गया कि आप लोग तो विरोधी की भावना से प्रेरित होकर विरोध करते हैं, आप लोगों का कोई खास मकसद नहीं, तो मैं बहुमत के लोगों से कहूंगा कि क्या उस वक्त आप ने हमारा ध्यान मुल्क की स्थिति से अवगत कराते हुये इस ओर नहीं आकर्षित किया कि लोगों की हालत सुधारने के लिये निस्वार्थ सेवा भाव की त्याग की, कर्तव्यपरायणता की और विश्वास की जरूरत है?

इस राज्य की योजनाओं के बारे में माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में बतलाया है कि केन्द्र में और अन्य राज्यों में भी सरकार कई किस्म की योजनाओं का विचार कर रही है। पंचवर्षीय योजन सामने हैं। उस को कार्यान्वित करने के लिये आपके सामने यह सवाल है कि धन कहां से आये। यह योजनायें हमारी जनता की भलाई के लिये कार्यान्वित होंगी लेकिन इन का फायदा हमें एक दम नहीं मिल जाता; उसमें समय लगेगा और अगर यह योजनायें सफल भी होंगी तो उन का परिणाम कुछ वर्षों में ही दिखाई देगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी योजनायें सफल ही हो जायं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम जहां तक सरकार की योजनाओं का प्रश्न है उनमें हम सरकार के साथ चलेंगे और उन को कार्यान्वित करने में जो सेवा हमारी ओर से जरूरी है उसके लिये हम तैयार हैं। किन्तु साथ ही इसके हम पर यह भी जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने हम लोगों को यहां विश्वास के साथ भेजा है उनकी हालत से भी सरकार और माननीय सदस्य वाकिफ रहें....

श्री अनुषधारी पांडे--मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) उठाना चाहता हूं। वह यह है कि भारत के संविधान के अनुछेद १९५ को देख कर इस संशोधन पर विचार किया जाय।

"Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding province."

[राज्य की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों के ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक होगा।]

जब यह संशोधन रखा जायगा तो इसके मानी होंगे कि कोई एलाउन्स (भत्ता) या वेतन न दिया जाय लेकिन संविधान में यह दिया हुआ है कि एलाउन्स और वेतन दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो वैधानिक आपत्ति उठायी है वह उचित नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद १९५ का अर्थ यह है कि वह वेतन दिया जायगा जो कि स्टेट के लेजिस्लेचर नियुक्त करें और माननीय सदस्य वेतन निश्चित तो करेंगे ही क्योंकि स्टेट के लेजिस्लेचर्स को यह अधिकार है और अगर नहीं करते तो, जो संविधान के पहिले जो वेतन मिलता था वही मिलेगा। यह इस अनुच्छेद का अर्थ है। स्टेट का लेजिस्लेचर जो निर्णय चाहे वह कर सकता है। उस का परिणाम जो होना है वह मैंने बतला दिया, लेकिन यह संशोधन अवैध नहीं है।

श्रीसत्य सिंह राणा--जब एक ओर हम सरकार का सहयोग करने के लिये उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिये तैयार हैं तो दूसरी ओर हमें जनता का ख़याल भी रखना चाहिये जिसके प्रतिनिधि होकर यहां आये हैं। सबसे अधिक संकट जनता के सामने खाने का है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विभाजन के फलस्वरूप गेहूं और चावल के बड़े बड़े क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये और यह भी छिपी हुई नहीं है कि सरकार ने अरबों रुपया अनाज को लाने में खर्चा किया है। खाने की समस्या को हल करने के लिये हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने ऐलान किया था कि १९५२ ई० के बाद देश आत्मनिर्भर हो जायगा यद्यपि वह योजना सफल नहीं हो पायी। इसके अलावा ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्नोत्पादन आन्दोलन) को भी आप लोगों ने देखा कि कितना हम लोगों का फायदा हुआ? इस दिशा में भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने वनमहोत्सव का प्रचार भी उस वक्त किया, उससे भी जितना सुधार हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बावजूद उक्त बातों के भी अन्न संकट कम नहीं हुआ। दाने दाने के लिये लोगों को तरसना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारी केन्द्रीय सरकार ने फूड सबसिडी (खाद्यार्थ राजसहायता) को बन्द कर दिया है। उसका नतीजा क्या होगा सभी जानते हैं। जो स्थिति आज हो गई उससे अनाज का भाव बढ़ना अवश्यम्भावी हो गया है। अपनी सरकार भी इस ओर इशारा कर रही है। ऐसी स्थिति में जब एक ओर वे भाई जिन्होंने हम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा है भूख से तड़प रहे हों और दुर्भिक्ष सर पर खड़ा दहाड़ रहा हो उस वक्त हमारा और आपका क्या कर्तव्य हो जाता है? मैंने पहले ही अर्ज किया था कि यह वेतन यदि देखा जाय तो नगण्य है। ऐसी स्थिति में इस धनराशि को अपनी तरफ से खाद्य स्थिति की दशा में सुधार करने के लिये एक कंट्रीब्यूशन (अंशदान) के रूप में भी समझा जाकर न लिया जाय तो मेरे खयाल में अनुचित न होगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) उठाया था मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य को वेतन पाने का अधिकार है किन्तु वह धनराशि इतनी बड़ी भी नहीं कि माननीय सदस्य इसे लेकर कुछ कमा बैठें। "कण कण जोरे मन जुरे, खाते निबरै सोय।" हमारे दोनों सदनों में करीब ५०० सदस्य हैं और साल भर में अगर वेतन न लिया जाय तो ६० लाख रुपये की बचत होती है और आप अगर इस धनराशि को जनता की भूख की समस्या को ही हल करने में लगा दें तो आप एक आदर्श स्थापित करेंगे इस मुल्क के अन्य राज्यों के सामने और मैं समझता हूं कि अन्य राज्य के सदस्यों को उस वक्त महसूस होगा और वे भी अपना कर्तव्य समझेंगे कि वे भी जनता की भलाई के कार्यों को देखते हुये अपने वेतन को लेने से इन्कार कर दें। इससे बहुत बड़ी इमदाद सरकार को अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी मिलेगी। अपने देश के अन्दर तो हम एक आदर्श स्थापित करेंगे ही वह दुनियां में भी यह हमारे लिये एक आदर और गौरव की चीज होगी। वह यह कि जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है हमने उसको पूर्णतया चरितार्थ कर दिया है।

[श्री सत्यसिंह राणा]

जो जिम्मेदारी उन्होंने हमारे कंधों पर रख दी है उसको निभाने में हम एक कदम और आगे बढ़ गये हैं।

हमारे देश की स्थिति अन्य मुल्कों की सी नहीं है, उससे भिन्न है। हमारे ऊपर आजकल एक आर्थिक संकट आया हुआ है, अभी हमारा प्रजातन्त्र शैशवावस्था में है। जो हमारी आर्थिक नीति आज कल चल रही है उससे हमें कोई लाभ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे माननीय सदस्यों ने आजादी के लिये बहुत सा काम किया और उसके लिये कुछ उठा नहीं रखा लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि अभी देश का निर्माण नहीं हुआ है। उनके ऊपर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है।

माननीय अध्यक्ष---"आप" शब्द का फिर उपयोग किया जा रहा है।

श्री सत्यसिंह राणा---मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह भावावेश में नहीं कह रहा हूं। इसमें आवेश की कोई बात ही नहीं है और न इस वजह से इसका विरोध कर रहा हूं कि मैं विरोधी बेंचों पर बैठा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि समय का तकाजा यही है। अगर इस समय के तकाजे को माननीय सदस्यों ने अपने ध्यान में रखा तो उनसे हम अपने देश की भलाई कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री की एक स्पीच बख्शी के तालाब पर हुई थी। बदकिस्मती से मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसा अखबारों में मैंने पढ़ा, उन्होंने ट्रेनिंग पाने वालों का ध्यान इस ओर दिलाया और उनसे कहा कि अगर आप इस खयाल से आये हैं कि रुपया कमायेंगे तो आप अपने घरों को चले जायं क्योंकि हमें तो ऐसे नौजवान और उत्साही नवयुवकों की आवश्यकता है जो गांवों में जाकर आधी तनख्वाह पर या तनख्वाह न मिलने पर भी काम कर सकते हों। यह बात उनके लिये ही नहीं थी, यह हमारे ऊपर भी काफी इशारा करती है, यह हमारे लिये भी एक मूल मंत्र जैसी बात है। अब मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे मुल्क की स्थिति को देखते हुये इस वेतन लेने की व्यवस्था को स्थगित कर दें और इस अधिनियम से इस खंड को ही निकाल दें। अन्यथा जब हम देश सेवा और देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं तो मुझे एक अखबार में पढ़े हुए पेट्रियाटिज्म की डेफिनिशन (देशभक्ति की परिभाषा) का खयाल आ जाता है। उसमें लिखा है कि पेट्रियाटिज्म

"The last refuge of a scoundrel; a cloak for a corrupt politician; the stock-in-trade of a Congressman"

[किसी दुष्ट के लिए अन्तिम आश्रय, किसी भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के लिये एक आड़, एक कांग्रेसी के लिए (अखिल ब्राह्मांड)]

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन भवन के समक्ष उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन का मतलब यह होना चाहिये...

माननीय अध्यक्ष---इसे संशोधन न समझा जाय बल्कि पूरे बिल का विरोध समझा जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---खंड ३ का विरोध जो किया गया है तो उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत देर से इस विषय पर बहस हो रही है

कि इस भवन के माननीय सदस्यों को वेतन दिया जाय या न दिया जाय। विरोधियों की ओर से यह प्रयत्न किया जा रहा है साबित करने का कि भवन के सदस्यों को वेतन की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ न दिया जाय। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी बड़ी-बड़ी और लम्बी लम्बी बातें करने में विरोधियों को आनन्द आता है। असल में अगर देखा जाय तो यह प्रश्न आज पहले पहल इस भवन में उपस्थित नहीं किया गया है बल्कि सन् १९३७ में, सन् १९४६ में वेतन के प्रश्न उपस्थित हुए थे और उस वक्त इस भवन के द्वारा प्रत्येक सदस्य के लिये कुछ वेतन तय हो चुका था। सन् १९३७ में चीजें सस्ती होने की वजह से प्रति मास प्रत्येक सदस्य को ७५ रुपये मिलता था और सन् १९४६ में २०० रुपये देना यहां से तय हुआ। सन् १९४६ के बाद जो आज की परिस्थिति है उसको देखते हुए २०० रुपये प्रति मास कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। इसके पहले जब बिल पर वाद-विवाद हुआ था तो उस वक्त भी राजा साहब ने जो कि विरोधी दल में बैठे हुए हैं उन्होंने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि सदस्यों को कुछ न दिया जाय। मैं मानता हूं कि उनकी ओर से ऐसी बात आनी ही चाहिये थी क्योंकि उनके पास इतना धन है..

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, मैं आपके जरिये एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह भी सुना जब मैंने कहा कि अब मेरी स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि पहले थी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--उस पर भी मैं आ रहा था। आप जल्दी न करें। तो राजा साहब के लिये तो स्वाभाविक है कि २०० रुपये की कीमत उनके सामने बहुत कम है। लेकिन इधर ट्रेजरी बेंच की ओर जो सदस्य बैठे हुए हैं वे उस श्रेणी के नहीं हैं जिस श्रेणी के राजा साहब हैं। और मैं तो इस बात को ज्यादा पसन्द करता अगर उनकी तरफ से यह सुझाव आया होता कि २०० रुपये न लिया जाय। दो सौ रुपया न लिया जाय बल्कि इसके साथ साथ जिसके पास जितना धन है वह भी सरकार को दे दिया जाय। लेकिन वह सुझाव करने की हिम्मत नहीं पड़ी। आपके द्वारा मैं इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने और राणा साहब ने अपने भाषण में यह भी बताया कि यह २०० रुपये जो मिलने की बात है इसको जनता की परेशानी देख कर छोड़ देना चाहिये क्योंकि जनता की हालत अच्छी नहीं है। अगर यह रुपया बच जाय तो इससे जनता की सहायता की जा सकती है और यह अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह चुनाव हो रहा था उस वक्त भी असेम्बली के सदस्य यहां पर मौजूद थे। जनता के सामने यह प्रश्न था और जनता अच्छी तरह से जानती थी कि जो सदस्य चुनकर असेम्बली में जायेंगे उनको कुछ वेतन भी दिया जायगा और उस वक्त के सदस्यों को वेतन २०० रुपया मिलता था। तो उनके सामने यह प्रश्न होते हुये भी उन्होंने, जो इतनी संख्या में सदस्य यहां भेजे हैं उससे मालूम होता है कि जनता को इसका कोई विरोध नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जनता उस तरह की नहीं है जिस तरह की सोशलिस्ट उसको समझते हैं। वह बहुत उदार है और संकुचित नहीं है। जनता यह जानती है कि उनके प्रतिनिधि जो यहां पर उन्होंने भेजे हैं वह ईमानदारी और सच्चाई के साथ कार्य करेंगे। अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ कार्य करेंगे तो उनके लिये जरा भी दुख नहीं होगा और उनको जरा भी रोष नहीं होगा। लेकिन अगर वह यह समझें कि इस असेम्बली के सदस्य हो चुके अब इसके बाद हमारा कोई कार्य नहीं रहा है और जनता के बीच में नहीं जायंगे और घर में बैठे रहेंगे तो जरूर वह विरोध करेंगी।

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग यहां पर आये हैं उसके अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू की ओर से यह आदेश निकला है कि प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी कांस्टीटचूएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में महीने में ८, १० दिन जरूर जाय और उनको जनसंपर्क स्थापित करना चाहिये। जनता की जो परेशानी है, उनका जो दुख है उनको उनके बीच में जाकर समझना है और उसको निवारण करने का प्रयत्न करना है। यह कार्य बिना खर्च किये हुये नहीं हो सकता। अगर कोई यह समझे कि बैठे बैठे इस चीज को कर सकते हैं तो यह नहीं हो सकता मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान की बातें करना और जमीन पर खड़े रहना उससे दुनियां का कोई कार्य नहीं हो सकता है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात देखने में आई कि विरोधी दल की तरफ से केवल इस वजह से विरोध किया जा रहा है कि उनका जनता में कुछ नाम हो जाय वर्ना वह यह जानते ही हैं कि यह बिल पास हो जायगा चाहे वह कितना ही विरोध करें। उनके ऐसा करने से उनका नाम भी विरोध में लिखा जायगा कि हमने भी इसका विरोध किया है। जो कार्य ईमानदारी और सच्चाई से होता है उससे राज्य की बहुत कुछ सहायता हो सकती है और जनता का भी उससे लाभ हो सकता है, किन्तु उस चीज को न लेकर इसका विरोध किया गया है। इस कारण यह जो विरोध किया जा रहा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव माननीय सत्यसिंह जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कम से कम हमारी ट्रेजरी बेंचेज वालों को यह तसल्ली तो होगी कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ऐसी बातें आईं।

मैं इसलिये इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि अगर यह मान लिया गया तो हमारी तो जड़ ही कट जायगी। हम तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ पैसा मिलेगा और हम लोगों की तनख्वाह मुकर्रर होगी, जो जरूरी है। हम तो यह कहते हैं कि अगर हमारे प्रान्त के पास पैसा काफी होता तो हमें १ हजार रुपया मिलना चाहिये था। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और हम जनता के सामने जाते हैं और काम करते हैं तो यह आवश्यक है कि हमें कुछ पैसे मिलें। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने हमें छांट कर यहां भेजा है उनको इस पर कोई विरोध नहीं है कि हमें कुछ थोड़ा सा पैसा मिल जाय। मेरी राय में जितने कम से कम में अपने कार्यों को हम प्रान्त की आर्थिक दशा को सामने रखते हुये चला सकें उतना हमें मिलना चाहिये। हमारे साथियों ने एक अमेंडमेंट (संशोधन) भी रखा था। हम तो यह चाहते थे कि बजाय २०० के १५० रुपये मासिक हो। इस से प्रान्त का कुछ पैसा बच जाता। हमने इसलिये विरोध नहीं किया है कि ५० रुपये कम करने से कोई बोलने का मौका मिल जाय। बोलने के तो बहुत मौके मिलेंगे। जिस वक्त जिस बात को हम ठीक समझेंगे उसे कहेंगे। जैसा सत्य सिंह जी ने कहा कि हमें जनता के सामने आदर्श रखना चाहिये तो उनकी बात मान कर यदि हमें यह पैसा न मिला तो हम में से बहुत से लोग बुरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। कोई अपने नाम परमिट लेगा और कोई किसी दूसरे के नाम। दूसरे कुछ न कुछ जरिया निकालेंगे। मैं समझता हूं कि १५० रुपये काफी हैं जिसमें हम अपना खर्चा चला सकते हैं। गरीबी से रहेंगे क्योंकि हम जनता के सामने जाकर तो अमीरी की बात नहीं कर सकते। इसलिये मैं इस सुझाव का जो माननीय श्री सत्यसिंह जी ने रखा है उसका तो विरोध करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि २०० रुपये न कह कर १५० रुपये रखा जाय। इससे हमारी जनता का भला होगा। हमारे प्रदेश का कुछ पैसा बच जायगा।

हमारे और भी मित्रों ने काफी बातें कहीं। बहुतों ने कहा कि समय नष्ट होता है। अवश्य होता है। मैं भी कल से कहता रहा हूं कि समय नष्ट नहीं करना चाहिये। हमारे दुब्लिश जी ने कहा कि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में जाना है। वह अवश्य जावें। यदि वह जावें तो १० रुपये रोज यहां का भी बचे और उनके क्षेत्रवालों को फायदा भी हो। हम तो यहां अपनी बातें रखने के लिये आये हैं। हम केवल विरोध की खातिर यहां नहीं हैं और न इसलिये हैं कि ट्रेजरी बेंचेज वालों के कहने से दिन को रात कहें। आज हमारी खिल्लियां उड़ाई जाती हैं कि खाना मत खाओ और जो २०० रुपये लोगे वह दान में दे दो। यह कोई बात कहने की है। यदि मिलेगा तो हमें भी मिलेगा लेकिन हम बताना चाहते हैं कि यहां ग़रीब अधिक हैं, अमीर कम हैं। वैसे हमारा खर्चा डेढ़ सौ से भी पूरा नहीं होता है लेकिन चूंकि यह रुपया ट्रेजरी से आता है, लोगों के टैक्स से आता है, इसलिये हम चाहते हैं कि यह रुपया दो सौ न होकर कम रहे और केवल उतना रहे जितना हमारे खर्चे के लिये आवश्यक हो। इन्हीं सब बातों के कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

कुंवर रणंजय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं कि यहां पर एक ऐसा विषय छिड़ा हुआ है जो कि बहुत ही आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं समझता कि केवल विरोध के लिये विरोध किया जा रहा है और इस बात की आवश्यकता है कि इस सदन का काम चलाने के लिये दो सौ रुपया मासिक वेतन दिया जाय। श्रीमान् जी, यह जो कहा गया कि इसका विरोध जो कर रहे हैं उनके पास धन है, मैं समझता हूं कि ऐसी विवादास्पद बात यहां पर नहीं होनी चाहिये। किसी के पास धन है या नहीं है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। मैं यह जानता हूं कि यदि केवल इसी विचार से माननीय राजा वीरेन्द्र शाह जी भाषण देते या श्री सत्यसिंह जी राणा कहते, तो क्या जिस समय जमींदारियां थीं उस समय वे ऐसा विचार नहीं प्रकट कर सकते थे। आज जब कि उनकी भी दशा दयनीय हो रही है, ऐसे समय में यह प्रश्न उठाना कि इससे उन्हें भी कोई लाभ होगा उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि निःस्वार्थ भाव से यह विरोध यहां पर रखा गया है।

मैं यह देखता हूं कि किसी समय में ७५ रुपये मासिक वेतन रखा गया था, उसके बाद महंगाई के कारण बढ़ाकर दो सौ रुपया वेतन कर दिया गया था। आज जब कि माननीय मंत्री गण अपना वेतन कम कर रहे हैं, हमारे यहां माननीय राष्ट्रपति महोदय अपना वेतन कम कर रहे हैं और जब देश की स्थिति बदल रही है, तो यदि इस सदन के माननीय सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जाता है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं प्रतीत होती। मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार करना परम आवश्यक है कि जिस समय ७५ रुपया मासिक वेतन रखा गया था, उस समय निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े थे। तब मेरे जिले में केवल तीन सदस्य हुआ करते थे और इस प्रकार तब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बहुत बड़ी होती थी परन्तु अब जब कि वहां पर तीन के स्थान पर नौ सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि अब निर्वाचन क्षेत्र बहुत छोटे कर दिये गये हैं। ऐसी दशा में यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

मैं यह भी देखता हूं कि जिला बोर्ड के अध्यक्ष को ढाई सौ रुपया मिलता है। यदि वह अपने क्षेत्र में जा करके कार्य करे तो उसका कार्य एक एम० एल० ए० के कार्य से बहुत अधिक परिश्रम एवं उत्तरदायित्वपूर्ण है। एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करे या न करे, सदन में उपस्थित हो या न हो, चाहे अपने घर ही पर पड़ा रहे, केवल ६० दिन के बीच में एक बार आकर मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता लेकर पुनः लौटे जाय और अपने घर में रहे या अन्यत्र कहीं, लेकिन दो सौ रुपया पेंशन की भांति प्राप्त कर सकता है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जब जिला बोर्ड का अध्यक्ष

[कुंवर रणंजय सिंह]

ढ़ाई सौ रुपये में तमाम जिले का भ्रमण कर सकता है, तमाम जिले की शिक्षा, सफाई, सड़क निर्माण तथा चिकित्सा इत्यादि का काम देख सकता है, ढाई सौ रुपये तो एक जिला बोर्ड के अध्यक्ष को जिसका कि इतना बड़ा क्षेत्र होता है मिलते हैं, तब मैं समझता हूं कि ये दो सौ रुपये अधिक जान पड़ते हैं। इस प्रकार से यदि प्रतिशत लगायी जाय तो मैं समझता हूं कि जिला बोर्ड के अध्यक्ष को कम से कम १८०० रुपये मासिक मिलने चाहिये, क्योंकि जब उसी क्षेत्र के लिये ९ सदस्य दो सौ रुपये प्रति मास पा रहे हैं तो जिला बोर्ड के अध्यक्ष को निश्चय ही उतना मिलना चाहिये। इस प्रकार से पक्षपात करके यह समझना कि विरोध किस ओर से हो रहा है विचार करना ठीक नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है और बहुत सोच विचार कर हमें इस पर निर्णय देना चाहिये।

हमें यह देखना है कि हम लोग सेवा भाव से कार्य करते हैं। काम करने के लिये आये हैं, कमाने के लिये नहीं। इसके लिये यदि दैनिक भत्ते में वृद्धि कर दें तो अधिक उचित जान पड़ता है। ऐसा करने से सदस्यों का ध्यान सदन के कार्य में अधिक लगेगा और यहां पर आकर सदन के कार्य में भाग लेंगे। जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि ४५ रुपये तो केवल मकान के किराये के निकल जाते हैं। तो उसके लिये तो दस रुपये रोज मिलता ही है। उसी से काम चलाना चाहिये। मंहगाई तो जरूर बढ़ी है। पहले ६ आने सेर पूड़ी मिलती थी, जो शुद्ध घी की होती थी और अब ३ रुपये सेर डालडा घी की पूड़ी मिलती है। इसी प्रकार शौक भी चीजों में मंहगाई बढ़ गयी है और आवश्यकता इस बात की जान पड़ती है कि दैनिक भत्ते के बढ़ाने के लिये विचार किया जाय,तब ठीक है। ये दो सौ रुपये जो हैं ये कुछ उचित नहीं मालूम पड़ते।

मैं श्रीमान् जी, विश्वास दिलाता हूं कि किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं जैसे कि अभी तक स्वतंत्र हूं वैसे ही स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रखता हूं और किसी को रुष्ट या तुष्ट करने के लिये नहीं कहता हूं।

श्लोक

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः॥

जो सज्जन लोग हैं वे चाहे कोई निन्दा करे अथवा प्रशंसा, चाहे लक्ष्मी रहे या चली जाय, चाहे आज ही मरना पड़े, चाहे युग युग जीना हो, परन्तु जो न्याय का पथ अर्थात् इन्साफ का रास्ता होता है उससे हटते नहीं हैं। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस विरोध का समर्थन करता हूं कि यह प्रश्न बहुत आवश्यक है और सदन को इस पर पूरा विचार करना चाहिये।

श्री राम सनेही शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, अभी यह सदन जो कि भारतवर्ष में संभवतः किसी भी राज्य से अधिक स्वतंत्रता के सेनानियों से भरा हुआ है कुंवर और राजाओं के त्याग और बलिदान की शिक्षा ले चुका है। मझे तो जिस समय इस भवन में इस विषय पर वाद-विवाद हो रहा था चुनाव के दिनों की एक घटना याद आ गयी। एक गांव में शाम को एक किसान मेरे पास आया क्योंकि मेरे क्षेत्र में विरोध करने वाले थे एक राजा साहब के कर्मचारी जो कि राम राज्य परिषद के थे और दूसरे थे समाजवादी। उसने कहा कि यह क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी आता है कांग्रेसी के विरोध में कुछ दूर जाकर, कुछ नजदीक जाकर एक ही सुर में बात आती है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। यहां भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है। विरोध करना है, चाहे सब कुछ सच हो, चाहे गलत हो। १८० हो जाय, १०० ही हो जाय और न हो तो कुछ भी न हो। रास्ता एक ही पकड़ा जायगा और उस विरोध की दलील में, अध्यक्ष महोदय, कहा यह जायगा कि इस देश की आर्थिक स्थिति सन् १९३७ से

गिरनी शुरू हो गयी। कहा जाता है कि सन् १९३७ से इतनी गिर गयी कि इसकी दशा आज संसार में तमाम देशों से, छोटे देशों को छोड़कर, जैसा कि एक सदस्य ने दूसरी तरफ से कहा, इसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वह खराब स्थिति आरम्भ हुई सन् १९३७ से। ताज्जुब होता है कि किस आधार पर ऐसी बातें इस सदन के समक्ष कहीं गयी हैं। यदि इस वक्त अध्यन किया जाय गांव का, जहां के छप्परों के संबंध यह कहा गया है कि आज छप्परों की तादाद बहुत बढ़ गयी, आज उनका जीवनस्तर नीचे गिर गया है, यह कहते हुये अच्छा नहीं लगता, विशेष तौर से, अध्यक्ष महोदय, उन व्यक्तियों के सामने जिन में से बहुतों का जीवन गांव में ही बीता है। आज हमारे देश का गांव उभर रहा है, उसकी स्थिति सुधर रही है और उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हो रही है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उस साथी तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि यह उभरना और यह बढ़ना सन् १९३७ से आरम्भ हुआ है। इसलिये वह दलीलें एक प्रकार की देकर के किसी बात का विरोध करना कुछ बहुत मुनासिब नहीं लगता। तो मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मैं तो केवल इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जहां तक सैलरी का संबंध है, जहां तक त्याग की बातें हैं यह सब नसीहतें हमको पाने के लिये हमारे मदरसे दूसरे हैं। हम जानते हैं जहां हमें यह नसीहतें मिल सकती हैं। हम जानते हैं जहां से यह नसीहतें आ रही हैं, अगर हम उनको लेंगे तो उसका हमारे व्यक्तित्व के ऊपर और हमारे देश के ऊपर क्या असर होगा। तो इन बातों में न जाकर के, वेतन और सैलरी की बातों में न जाकर के केवल इस बात का खंडन करने के लिये मैं खड़ा हुआ कि ये दलीलें सच्ची नहीं थीं कि देश की आर्थिक स्थिति गिर गयी। यह कोई देहात की सभायें नहीं हो रहीं हैं कि आप भावनाओं को उत्तेजित करें। यह सदन तो, अध्यक्ष महोदय, इसलिये बैठा है कि न्याय और सच्चाई के ऊपर हम इस देश के भविष्य का निर्माण करने के लिये आगे बढ़ें और मैं चाहता हूं कि इन्हीं विचारों को सामने रख करके इसपर निर्णय किया जाय।

श्री पद्मनाथ सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध के पक्ष से जो बातें कही गयी हैं, दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है। एक तो सैलरी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय। हम जानते हैं कि वैधानिक प्रणाली, पार्लियामेंटरी सिस्टम, हिन्दुस्तान में लागू होने के पहले तालुकेदारों के यहां, राजाओं के यहां और रियासतों में एक सिस्टम था, जिसमें जिलेदार और तहसीलदार लोग हुआ करते थे और तनख्वाह उनकी १०/१५ रुपया हुआ करती थी और वे रहते बड़ी शान से थे। उस समय तनख्वाह तो उनकी नाम मात्र की जरूर थी लेकिन उनकी शान में कोई कमी नहीं थी। उस तरह की प्रणाली आज कुछ लोग इस देश में चलाना चाहते हैं कि वेतन कुछ न लिया जाय लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से देश का और सदन का स्तर कैसे ऊंचा रह सकेगा। मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इस तरह की किसी प्रणाली में न तो विश्वास करते हैं और न उसे सदन में या देश में प्रचलित करना चाहते हैं।

एक और बात कही गई और वह यह कि हमें शिक्षा लेनी चाहिये और त्याग करना चाहिये। हमारे माननीय सदस्यगण को देखना चाहिये कि जब हम एक वैधानिक प्रणाली स्वीकार कर चुके हैं तो हमें देखना है कि संसार के देशों में जहां एफीशियेंट (योग्य) और डीसेंट (उत्तम) पार्लियामेंटरी सिस्टम काम करता है वहां किस तरह से लेजिस्लेचर के सदस्यगण वेतन लेते है और काम चलाते हैं। मैं कुछ देशों का उदाहरण माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि जहां पार्लियामेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन है और जहां वह एफीसेंटली और डीसेंटली चलाया जा रहा है और मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां के लोगों का आप स्तर देखें कि वह वहां कैसे काम करते हैं। इंगलैंड में जो पार्लियामेंट की जननीभूमि है और जहां देश की जनसंख्या इतनी नहीं है क्योंकि वह इतना बड़ा देश नहीं है लेकिन फिर भी वहां के एक मेम्बर को ६०० पौंड पर एनम (प्रतिवर्ष) वेतन मिलता है और यह २०० रुपये से कहीं ज्यादा होता है और इसके साथ ही उन को फ्री पोस्टेज और

[श्री पद्मनाभ सिंह]

कनवेएन्स (परिवहन) अगैरह भी मिलता है। केनाडा में भी ४ हजार डालर पर सैशन (मंत्रिसत्र) मिलता है, पर एनम नहीं और न प्रतिमास ही मिलता है। एक डालर करीब ४ रुपये के बराबर होता है। तो वहां भी सदस्यों को यहां से कम नहीं मिलता है। इसके अलावा वहां भी उनको फ्री कनवेयन्स, पोस्टेज और टाइपिंग आदि की सुविधायें मिलती है। आस्ट्रेलिया में भी ज्यादा मिलता है। मैं आंकड़े नोट करके लाया हूं और सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उन देशों में भी एक हजार डालर सदस्यों की सेलरी होती है और फ्री कनवेयेंस और पोस्टेज मिलता है आस्ट्रेलिया जो हमारे देश से बड़ा नहीं है और जहां इतनी जनसंख्या नहीं है और न तो वह इतना विकसित देश है वह पर भी लेजिस्लेटर्स यहां से ज्यादा सुविधायें प्राप्त करते हैं और वहां के सीनेटर्स भी १ हजार पौंड प्रतिवर्ष पाते हैं और आस्ट्रेलिया की स्टेट पार्लियामेंट के सदस्यों का वेतन ७०५ पौंड पर एनम होता है और एक पौंड अपने १४ रुपये के लगभग होता है। तो मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब आप एक वैधानिक प्रणाली में विश्वास करते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि हम कोई बड़ी पूंजी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिस में बड़े बड़े जमींदार और ताल्लुकेदार होंगे तो फिर किसी सदस्य को इतने साधन कहां से प्राप्त हो सकते हैं। कुछ सदस्य जो इस तरह की बात करते हैं वे भी आगे अधिक दिनों तक इस तरह की बात न कर सकेंगे। न जमींदारी और ताल्लुकेदारी की आमदनी होगी और न किसी के पास बैंक बैलेन्स ही रहेंगे और न किसी तरह की स्थायी पूंजी ही रहेगी। इन हालात में निश्चिन्त होकर देश का काम करने के लिये कुछ न कुछ साधन निकालने ही पड़ेंगे। जिन परिस्थितियों में वे आज इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं वे उन परिस्थितियों को भूल जायं तो शायद इस तरह की बात कहने की गुंजाइश पैदा न होगी। जब एफीशियेंट और डीसेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो आप को इतनी सुविधा देनी ही होगी कि वह देश की गूढ़ समस्याओं को बैठकर अच्छी तरह से सोच सकें। मैं नम्र निवेदन यह करना चाहूंगा कि दो सौ रुपये की बात बड़ी छोटी सी है और इस पर इतना वादविवाद होता है। मैं तो कहता हूं कि यहां बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको यहां पर कर्जा लेना पड़ेगा। मैं उस तरफ की बात नहीं कहता लेकिन ट्रेजरी बेंचेज की तरफ जो बैठते हैं उनमें से अधिकांश, ९० फीसदी ऐसे हैं जिन्हे चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है और अपना समय देना होता है। वे कांस्टीटुयेंसी में जाना चाहते हैं, जाते हैं, चारों अब अगर वे शादी तरफ घूमते हैं। विवाह, पढ़ाने लिखाने के खर्चे में लग जायेंगे तो केवल विरोध के लिये यहां पर कुछ सदस्य भले ही कुछ कहें, लेकिन हमें तो कार्य करना है हम तो चाहेंगे उन्हें वे सुविधा मिलें और अधिक से अधिक कार्य वे कर सकें। फिर इसके साथ उनकी भावनायें भी तो हैं क्योंकि हमने अधिक उन भावनाओं का कोई निरवाह भी नहीं कर सकता है इसलिये जो आंकड़े मैंने रखे हैं उनको देखना चाहिये।

यदि हमें संसार के साथ चलना है और यदि हमें वैधानिक प्रणाली के स्तर को ऊंचा करना है तो हमें उस प्रथा को नहीं चलाना है जिसे ताल्लुकेदारों ने चलाया था कि १५ रुपये देकर शान व शौकत से रहने की उम्मीद की जाय। अगर हमें अपने लेजिस्लेचर को उसी स्तर पर नहीं लाना है तो अपने सदस्यों को सुविधायें देनी होंगी और वे सुविधायें दो सौ रुपये को ज्यादा नहीं हैं। महंगाई की बात भी है। दुनिया के तमाम लेजिस्लेचर्स में तनख्वाहों को बढ़ाया गया है। १९११ में पार्लियामेंट ने जो तनख्वाह तय की थी उसको १९२० और १९३० में इन्वायरी (जांच) के बाद १९३० में बदला गया और बढ़ाया गया।

आज हमारे देश में जो परिस्थिति है उसको देखते हुये हममें से कुछ का विचार था कि दो सौ रुपये का ढाई सौ रुपये कर दिया जाय लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं इसको बढ़ाना ठीक नहीं है। हमारे विरोधी बेंचेज पर जो बैठते हैं वे भी दो सौ रुपये की रकम को ज्यादा नहीं समझते हैं। इस सदन के बाहर कहते हैं कि इसमें तो काम नहीं चल सकता और यहां आकर विरोध के लिये विरोध करते हैं, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है और ऐसी छोटी बातों में विरोध करने से उस मर्यादा की हत्या होती है।

मैं सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि एफीशियेंट और डीसेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो स्टैन्डर्ड (स्तर) को कायम रखना जरूरी है। वह लोग जो विरोध करते वे लोग डेढ़ सौ रुपये की बात करते हैं, केवल ५० रुपये का अन्तर देकर चीप पापुलरिटी गेन (सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त) करना चाहते हैं। उनकी वस्तुस्थिति पर विचार करना चाहिये। जो सैलरी और एलाउन्सेज का प्राविजन है, वह मिनिमम मोस्ट है वह बहुत ही कम है और उससे कम की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं इस मसले पर बहस बन्द करने के लिये प्रस्ताव करने की आज्ञा चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—अभी थोड़ी ही बहस हुई है।

माननीय अध्यक्ष—काफी हो चुकी है। छोटा सा प्रश्न है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस मसले पर बहस बंद की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—मैं सदन के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन की प्रणाली यह रही है कि जब किसी खंड के विषय में इस तरह का संशोधन आवे कि पूरा खंड निकाल दिया जाय तो उसका रूपान्तर हो कर उसे केवल विरोध की संज्ञा दी जाती है। यहां के सदन की प्रणाली रही है कि उसको अमेंडमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कारण यह है कि जब किसी खंड पर विचार प्रारम्भ हो तो यह माना जाता है कि माननीय मंत्री की ओर से यह मोशन रखा जा रहा है कि "यह विधेयक का भाग माना जाय" और उस पर विचार किया जाता है। अगर पूरा खंड निकालने का संशोधन कोई सदस्य लाता है तो उसे केवल विरोध माना जाता है। अब माननीय सदस्य जिन्होंने यह विरोध प्रकट किया है उनको उत्तर देने का अधिकार नहीं रह जाता है। मैं माननीय न्याय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना उत्तर दें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जो विरोध दफा ३ का किया गया उसके मानी यह होते हैं कि पूरे बिल का विरोध किया गया है। जाहिर है कि पूरे बिल का भी मकसद यही है जैसा कि प्रीऐंबिल (प्रस्तावना) में कहा गया है कि मेम्बरों को तनख्वाहें दी जायं और दफा ३ में वे तनख्वाहें मुकर्रर की गयी हैं। अगर दफा ३ नहीं होगी तो उसके मानी यह होंगे कि सारा बिल ही बेकार हो गया। बहरहाल गालिबन इसी वजह से यह तजवीज पेश की गयी है, लेकिन उसके सबूत में जो वजूह बयान किये गये हैं वे मेरी समझ में नहीं आये। मुल्क की गुरबत और जनता की गरीबी की हालत का नक्शा ही बराबर यहां खींचा गया। जाहिर है कि इससे हम लोग नावाकिफ नहीं है, लेकिन जो जरूरी अखराजात होते हैं वे बावजूद इन बातों के करने ही पड़ते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी स्कीमें ऐसी हों जिनसे हमारे मुल्क की गरीबी जल्द से जल्द दूर हो और उसकी हालत बेहतर हो। जब से कांग्रेस हुकूमत यहां आई उसने गरीबी को दूर करने के लिये क्या क्या बातें कीं इनको गिनाने का वक्त नहीं है। इनके मुताल्लिक़ हम लोगों की जितनी स्कीमें हैं वह गालिबन बजट के वक्त आपके सामने आयेंगी और उनसे आपको मालूम होगा कि हम लोगों की इसके मुताल्लिक़ क्या नीति है और हम लोगों को क्या करना चाहिये लेकिन इसके बावजूद हम बजट तो बनायेंगे। ४ करोड़ का बजट सेंटर में अभी पास हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश का बजट भी लगभग ६० करोड़ का होगा। इसलिये जो जरूरी अखराजात हैं वे हमको करने ही पड़ते हैं। जब किसी खर्चे को करने का सवाल आता है तब हमारे सामने सिर्फ यही सवाल नहीं उठता कि हमारा देश गरीब है, अगर हम उस पर वह रुपया सर्फ न करें तो उससे

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

और लोगों को खाना खिला सकते हैं। जो उसके लिये मौका है उस मौके पर आप उसको बतायें कि यह इस तरह से नहीं उस तरह से होना चाहिये। जब इस सिलसिले में बजट पेश हो तो उस वक्त आप कहिये कि यह चीज गरीबों के लिये है इस पर आप जरूरी अखराजात नहीं कर रहे हैं और यह चीज मेरी समझ में आती भी है।

मुझे खुशी है कि इस बिल के मामले में हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने इसकी ताईद की है, कहा है कि इस सिलसिले में कुछ न कुछ होना चाहिये। उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि मेम्बरों को तनख्वाह देने का जो सवाल है वह बहुत जरूरी है। इसकी जरूरत क्या है यह मेम्बरों को बताया जा चुका है। बहुत से आदमी इस तरह ऐसे होते हैं जो यहां मुन्तखिब होकर आते हैं, जिनको अक्सर यहां के कामों के लिये अपना पूरा समय ही देना पड़ता है और वे अगर अपना पूरा वक्त या काफी वक्त नहीं देंगे तो वे अपने फरायज को अंजाम नहीं दे सकते। अगर किसी का खयाल यही है कि तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये तो हम किसी को मजबूर नहीं करना चाहते हैं। यह कानून जो बन रहा है वह इसलिये है कि जिस शख्स को जरूरत हो उसको २०० रुपये दिये जायं, लेकिन राजा साहबान या रईस साहबान जो यहां मुन्तखिब होकर आते हैं और जो अपने पास से खर्च कर सकते हैं वे असेम्बली के दफ्तर में लिख कर भेज दें तो हम लोग निहायत शुक्रिया के साथ उनकी इस तजवीज को मंजूर कर लेंगे।

इस बिल की जरूरत मेरे खयाल में ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिये है जो हमारे गरीब भाई ऐसे हैं जो अपना पूरा वक्त देकर, पूरी दिलचस्पी लेकर, रात दिन अपनी जनता की खिदमात करके अपना वक्त सर्फ करना चाहते हैं। उनके लिये हर जगह इसकी जरूरत समझी जाती है। इस देश में हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया में यह रिवाज है कि मेम्बरों को जरूरियात के लिये इन्तजाम किया जाता है ताकि वे अपनी खिदमात अच्छी तरह अंजाम दे। हमारी गरज क्या है? हमारी गरज यह है कि जो हमारे मुख्तलिफ मेम्बर, आठ आठ, नौ नौ, हर जिले से मुन्तखिब होकर आये हैं उनको वहां की हालत अच्छी तरह मालूम हो और वे वहां की बातों को समझें, वहां की जरूरत को महसूस करें और उसकी खबर गवर्नमेंट को बराबर पहुंचाते रहें, ताकि हमें अपना काम करने में आसानी हो। हम लोग जो यहां पर १०, १२ मंत्री हैं, हमको हर जगह की हालत पूरी तरह से नहीं मालूम हो सकती है, जितनी कि उनको मालूम हो सकती है जो कि वहां के बाशिन्दे हैं और रात दिन उन्हीं लोगों में रहते हैं। यही गरज है और वह गरज उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि वे लोग अपनी कंस्टीटुयेंसी (निर्वाचन क्षेत्र) में काम न करें और अपने यहां के लोगों की हालत अच्छी तरह से दरियाफ्त न करें। इन सब बातों के लिये जाहिर है किसी न किसी एलाउन्स की जरूरत होगी और मेरे खयाल में यह रकम जो रखी गयी है बहुत मामूली है। वैसे तो हर रकम के लिये बहस हो सकती है कि दो सौ के बजाय ढाई सौ रखा जाय, या डेढ सौ रखा जाय या एक सौ दस रखा जाय, लेकिन मेरे ख्याल में दो सौ रुपये की रकम जो रखी गयी है वह मुनासिब रकम मालूम होती है न ज्यादा है न कम है। अगर देखा जाय तो आज कल की फिजा और गरानी को देखते हुये मेरे खयाल में दो सौ रुपये की रकम कम ही है। लेकिन इससे ज्यादा किसी हालत में भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि जो विरोध हुआ है दफा ३ का, वह न मंजूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३, जैसा कि वह संशोधित हो चुका है, इस विधेयक का भाग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—)

पक्ष में—२९७
विपक्ष में— ८

खंड ४

४--यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर (मेम्बर्स इमालूमेंट्स) ऐक्ट, १९३८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३८ का निरसन।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड ५

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकती है :--

(क) उस अवधि को जिसके भीतर, और उन शर्तों को जिनके अधीन दैनिक भत्ता लिया जा सकता है, नियत करना और उन परिस्थितियों को जिनमें भत्तों का दिया जाना रोका जा सकता है, नियत करना।

(ख) उन शर्तों को जिनके अधीन और उन यात्राओं को जिनके लिये यात्रिक भत्ता जिसमें मील अनुसार भत्ता भी सम्मिलित है, लिया जा सकता है, नियम करना।

(३) इस अधिनियम के अनुसार बनाये हुये नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के सामने कम से कम सात दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिस्कारों (मोडिफिकेशन) के अधीन होंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र (सेशन) में करे, जिसमें वे उक्त प्रकार रक्खे गये हों।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड '२' (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "करना" से पूर्व शब्द "नियम" के स्थान पर शब्द "नियत" रखा जाय।

यह शाब्दिक संशोधन है। आशा है माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री सैयद अलीज़हीर—मैं इसको मंजूर करता हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड '२' (ख) की पंक्ति ३ में शब्द 'करना' से पूर्व शब्द 'नियम' के स्थान पर शब्द 'नियत' रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "वे ऐसे" के उपरान्त शब्द "परिस्कारों" के स्थान पर शब्द "परिष्कारों" रख दिया जाय।

यह भी साफ है और यह संशोधन होना आवश्यक है।

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर—यह खाली लफ्जी तरमीम है इसलिये मुझे यह मंजूर है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "वे ऐसे" के उपरान्त शब्द "परिस्कारों" के स्थान पर शब्द "परिष्कारों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्तों को निश्चित करना आवश्यक है :—

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ । १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायँ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, सन् १९५२ ई० पर विचार किया जाय ।

जैसा कि सदन को विदित है, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम पहली जुलाई, १९५२, से सारे प्रदेश में लागू हो जायगा । लेकिन पहली जुलाई में अभी १ महीने से ज्यादा का वक्त पड़ा हुआ है । गवर्नमेंट को आशंका इस बात की है कि जमींदार साहेबान शायद ऐसी भूमि को जो कि आज खाली पड़ी हुई है और जो कानून लागू होने के बाद गांव-पंचायत के अधिकार में आ जावेगी, पट्टे पर दूसरे लोगों को इस एक महीने के समय के अन्दर दे देंगे या देने का प्रयत्न करेंगे । अगर ऐसा हुआ तो गांव-पंचायत को जो अधिकार देने की मंशा है वह मंशा बेकार हो जायगी । पट्टे या लीजेज और पट्टे करने की बात के साथ-साथ दूसरी बात यह भी है कि काश्तकारों को हस्तान्तरण का अधिकार या हक इन्तकाल दे दिया जाय । यह कानून जिन सिद्धान्तों पर बना हुआ है उसमें सब से बड़ा यह है कि आज जिसको अपने खाते या भूमि को मुन्तकिल करने का हक हासिल है, वह एकदम बिना किसी किस्म का दसगुना लगान या और कोई रुपया दाखिल किये भूमिधर हो जाय । मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सूबे के अन्दर बहुत बड़ी तादाद ऐसे जमींदारों की है जो इस तरह से कानून की मंशा को खत्म करने का विचार अपने मन में नहीं रखते हैं लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे भी जमींदार हैं जो यह चाहते हैं कि जिस तरह से हो सके जनता या, जनता की प्रतिनिधि गांव-पंचायत या गांव-सभा को उनके उचित अधिकारों

से वंचित करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्न किये जायं। यह कानून इसी लिए बनाया जा रहा है जिससे वे लोग अपने इन इरादों में सफल न हो पाएं। मैं जानता हूं कि यह कहा जायगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर अब तो जमींदार जा ही रहे हैं। चलते चलाते आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं।

विरोधी पंक्तियों पर जो सदस्य बैठे हुये हैं उनमें से एक मित्र ने कहा भी था और उसका सीधा सा जवाब यह है कि जो मध्यवर्ती लोग नेकनीयती से ऐसी जमीन को उठायेंगे जिस पर आज तक काश्त नहीं होती आयी है, जो काश्त के ज्यादा काबिल भी नहीं है और जिसको मार्जिनल लैंड (सीमान्त भूमि) कह सकते हैं, तो उनको कोई खतरा इससे नहीं है और न उनको कोई इससे हानि पहुंचती है। अगर ऐसे लोग हैं जो इस तरह का भाव अपने मन में रखते हैं, तो उनका रखना लाजिमी है और जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को इस सदन के विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री राज नारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य और कारण को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है वह उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमको कुछ दूसरे ही तरीके से सोचना होगा। यह सही है कि हमारी सरकार ने पहली जुलाई से हमारे सूबे में जमींदारी उन्मूलन योजना को कार्यान्वित करने की घोषणा की है, आपके द्वारा मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जमींदारी उन्मूलन हमारे सूबे में बहुत विलम्ब से हो रही है। जमींदारी उन्मूलन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये थी। जिस समय अंग्रेजी राज्य टूटा, उसी समय जमींदारी उन्मूलन की घोषणा होनी चाहिये थी। हमारी यह मांग थी कि अंग्रेजी हुकूमत के टूटने के दिन ही सारे सूबे में, सारे देश में जमींदारी उन्मूलन की घोषणा हो। मगर जिस तरीक़े से देरी के साथ हमारे सूबे में जमींदारी उन्मूलन हो रहा है अगर उसके बाद भी आज जिस उद्देश्य और कारण को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी पूर्ति यदि हम इसी अनुसार चलेंगे तो नहीं होगी। हमारे सूबे में जमींदारी उन्मूलन की योजना शायद जुलाई, सन् १९४९ ई० में ही आ गयी थी। मगर उसके बाद ही भारतीय संविधान के अन्दर जो धारा बढ़ायी गयी जिसके अन्दर मुआविजा देने की बात कही गयी कि मुआविजा देने के बाद ही जमींदारी उन्मूलन हो सकता है या किसी की सम्पत्ति को सरकार ले सकती है, उसी धारा के अन्दर जाकर जमींदारों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगेबाजी लगायी।

इस बीच में आप देखेंगे कि हमारे सूबे में न मालूम कितने जिलों में हाहकार मचा हुआ है। जितनी परती थी, ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, तालाब, पोखर थे, सबका पट्टा कर दिया गया है।

आज जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार यह बिल प्रस्तुत कर रही है वह उद्देश्य कैसे पूरा होगा अगर वह २१ मई के बाद से जो पट्टे लिखे गये हैं, केवल उन्हीं को रद्द करेगी। अगर इस काम को सही माने में करना है तो एक इन्क्वायरी कमेटी बैठानी चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे सूबे में कितने नाजायज पट्टे हुये हैं, कितने पोखर, कितने ताल-तलैइयों का पट्टा हो गया है और कितनी सार्वजनिक हित की भूमि आज दूसरों के हाथ में चली गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य था कि जितने भी मध्यवर्ती हों सरकार और किसान के बीच में वे सब समाप्त होने चाहिये। मगर जो विधेयक हमारे सामने रखा जा रहा है उससे मध्यवर्ती समाप्त होने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद की जो व्यवस्था हो वह इस तरह की हो कि जितने खेती करने वाले हों उनके हाथ में पूरी-पूरी ताक़त देने के लिये तमाम मध्यवर्ती समाप्त किये जायं। इस उद्देश्य को सामने रखते हुये कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाय। सन् १९४२ ई० में "क्विट

[श्री राज नारायण]

इंडिया" रेजोल्यूशन ("भारत छोड़ो" संकल्प) हमारे सामने जब आया था, आदरणीय स्पीकर महोदय, उसमें लिखा हुआ है कि "दि स्टेट मस्ट नेससरीली बिलांग टु प्रोडयूसिंग मासेज, वर्कर्स इन फ़ील्ड्स ऐंड फैक्टरीज"। (राज्य अनिवार्यतः उत्पादन जनता, खेत और कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के अधिकार में होना चाहिए।) इसके माने यह होते हैं कि अगर अंग्रेजी राज्य की समाप्ति हो गयी तो उसके बाद राज्य सत्ता उनके हाथों में जायगी जो खेतों में काम करने वाले हैं, जो कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं। क्या इस उद्देश्य की पूर्ति इस बिल के पास करने से जो २१ मई के बाद होने वाले पट्टों को रद्द करता है, हो सकती है?

श्री शिवमंगल सिंह कपूर---प्वाइंट आफ़ आर्डर (विधान का प्रश्न)।

मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय नेता, विरोधी दल जो भाषण दे रहे हैं क्या बिल पर बोल रहे हैं या जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष---यह तो जनरल डिस्कशन है ही। माननीय सदस्य का कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राज नारायण---स्पीकर महोदय, मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे सामने जमींदारी उन्मूलन रखा गया है उसकी पूर्ति इस बिल के प्रस्तुत करने से नहीं होगी। मैं एक पुस्तक "ए वीक विध महात्मा गांधी" की तरफ जो लुई फिशर ने लिखी है ध्यान दिलाता हूं। वह पुस्तक हमारे सामने है। मैं अपने सम्मानित सदस्यों से और खासकर माल मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस पुस्तक को पढ़ें। उसमें गांधी जी ने साफ-साफ लुई फ़िशर के सवालों का जवाब दिया है। उसने मुआविजे के बारे में पूछा था, उसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के लिये असम्भव हो जायगा, जमींदारों को मुआविजा देना।

माननीय श्री हुकुम सिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि आया जमींदारी अबालीशन बिल इस सदन के सामने है और उसके सिद्धान्तों पर बहस की जा रही है, या यह विधेयक जो इस वक्त पेश है उसके मुताल्लिक।

माननीय अध्यक्ष---विधेयक के सम्बन्ध में बहस हो रही है।

श्री राज नारायण---मैं उसी के ऊपर नजर कर रहा हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह---कम्पेंसेशन (प्रतिकर) का कोई सवाल इसमे पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जो उद्देश्य और कारण सामने रखा गया है उस पर भी मेरी नजर है। मैं कह रहा था कि जुलाई, सन् १९५२ से जो जमींदारी प्रथा का अन्त होगा और उसके बाद से जो परिस्थिति पैदा होगी उसका सामना करने के लिये आप यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं। वह परिस्थिति क्या है, क्या होगी...

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जमींदारी उन्मूलन से क्या परिणाम होगा यह विषय नहीं, विषयान्तर है। इसलिये माननीय सदस्य इसी पर बोलें कि इस विधेयक के द्वारा जमींदारी उन्मूलन का जो सिद्धान्त तय हो चुका है और एक्ट पास हो चुका है, उसमें कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके क्या विचार हैं इस बारे में कहें।

श्री राज नारायण---माननीय स्पीकर महोदय, उद्देश्य और कारण में हमारे सामने जमींदारी उन्मूलन के बाद जो परिस्थिति पैदा होगी उसका सामना करने के लिये यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो पट्टे २१ मई के बाद होंगे वे जायज न करार दिये जायं। लेकिन देखना यह है कि कितने पट्टे ऐसे होने वाले हैं। जमींदारों

को इतना मौका लूटने, खसोटने का दिया गया कि जितनी जमीन थी सबका उन्होंने पट्टा कर दिया। आपको अगर वास्तव में परिस्थिति का सामना करना है तो देखिये कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद से जितने पट्टे हैं उनको रद्द करने के लिये आप तैयार हो जायं तो मैं समझता हूं कि आप सही मानों में चाहते हैं। या जिस दिन जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पिछली सरकार के सामने पेश हुआ, उस समय से भी रखते तो मैं समझता कि आप ऐसा करना चाहते हैं और यदि आप इसमें भी कैद रखते कि जितने पट्टे रद्द किये जायं वह किसानों के न किये जायं तो मैं समझता कि आपका उद्देश्य किसानों के लिये हितकर है। जिस उद्देश्य को मालमंत्री जी ने रखा है, हमने उसके लिये भी कहा है कि यह उद्देश्य अच्छा है, लेकिन २१ मई के बाद वाले पट्टों को रद्द करने से उसकी पूर्ति नहीं होती। मगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये तो आपके लिये और भी चीजें जरूरी हैं। जिस जमींदारी का उन्मूलन जुलाई से होने जा रहा है, अभी ऐक्चुअल (वास्तविक) रूप में तो हुआ भी नहीं। हो सकता है कि सरकार के सामने कोई परिस्थिति विशेष आवे और उसकी तारीख बढ़ जाय। अभी तो वह अन्धकार के गर्भ में है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन (सूचना लाभार्थ)। । श्रीमान्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक का हमारे माननीय विरोधी नेता समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष--यह विरोध हो रहा है।

श्री राज नारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, आपके द्वारा मैं पुनः सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वह वाद-विवाद में बहस करने बैठें तो जरा शान्ति से बैठें, तभी सुन भी पायेंगे और समझ भी पायेंगे।

आदरणीय स्पीकर महोदय ने सुन्दर शब्दों मे उसका उत्तर दे दिया है इसलिये मुझे इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अच्छा हो कि इस मामले में वे हठवादिता से काम न लें नहीं तो जिस उद्देश्य को रखा जा रहा है वह भी शायद पूरा न हो सकेगा। आपको मालूम है कि जब जमींदारी अबालिशन हुआ था तो किस तरह से दसगुना वसूल किया गया था और आगे वह वसूल किया जायगा या नहीं इस विषय में अभी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन अब भी अगर आप जिलों में जाकर देखें तो वहां के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी उसकी वसूली कर रहे हैं। हमारे उस समय के माल मंत्री ने जब यह योजना बनाई थी उस समय बतलाया था कि ६ हफ्ते के अन्दर एक अरब ७२ करोड़ रुपया वसूल हो जायगा, लेकिन मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह ६ हफ्ते में नहीं, ६ महीने में नहीं बल्कि ६ साल में भी पूरा नहीं हो सकेगा। एक अरब ७२ करोड़ रुपया वसूल करना कोई मामूली बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--विषयान्तर हो रहा है।

श्री राज नारायण--मैं माननीय स्पीकर महोदय, आपके द्वारा अपने माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वह अपने उद्देश्य को सफल बनाना चाहते हैं तो २१ मई, सन् १९५२ को हटा कर बहुत दूर पीछे तारीख को ले जायं। वह या तो एक कमेटी बैठा दें, जो इस पर गौर करे और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जब सन् १९३९ में रिजाइन (शासन-त्याग) किया उस वक्त से रखें। और साथ ही ३० एकड़ जमीन का कायदा भी आप कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जोत आप

[श्री राजनारायण]

मुक़र्रर कर सकते हैं और उसके अलावा जो जोतें हों उनको आप नाजायज़ करार दे सकते हैं।

हमने योजना बनाई है कि ३० एकड़ तक खेती करने वाले एक जोत को रख सकते हैं और ऐसा कायदा बनाया जाय कि इस से ज्यादा की जोत नाजायज होगी या कोई दूसरी स्कीम बनायी जाय कि जिसमें मुक़र्रर हो कि एक एकनामिक होल्डिंग से कम जोत इतनी होगी। कमेटी जो कुछ भी दस या बारह एकड़ की तै करे और दूसरे देशों की एकनामिक होल्डिंग का नमूना देख कर तै करे कि यहां क्या साइज एकनामिक होलडिंग का होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा। इसलिये पहली बात मैं यह अर्ज करूंगा कि इस मौक़े पर इस बिल को वापिस ले लिया जाय और इस पर एक कमेटी बिठला दी जाय। हमारा यह सुझाव मौलिक और बुनियादी है और इस को हंस कर के टालना नहीं चाहिये। मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्रियों का ध्यान दिलाऊंगा कि हमें जल्दी में कोई ऐसा काम न करना चाहिये कि जिससे हमारा जो उद्देश्य है वही खत्म हो जाय। इसलिये इस वक्त एक कमेटी का बनाना बहुत जरूरी है और हमें भी चाहें तो उसमें एक विटनेस (साक्षी) के रूप में ही बुला लें और जो कुछ हमारी राय होगी उसको हम उस कमेटी के सामने रख देंगे कि किस तरह से यह उद्देश्य सुचारुरूप से पूरा हो सकता है और किस तरह से कितनी बड़ी एकनामिक होल्डिंग हो सकती है। कमेटी बैठाने की जरूरत इसलिये है कि आप जानते हैं कि जमींदार जब पट्टा करते हैं तो वह नाजायज रकम ले लेते हैं, उसके लिये भी हमें देखने की जरूरत है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो कहते हैं जिन्होंने पट्टा करा लिया है, उनके लिये भी खतरा है। इसलिये आप इसको सन् ४९ से या सन् ४६ से चलाइये। बहुत से व्यक्तियों ने नाजायज रुपये दिये होंगे तो उस नाजायज रकम का भी पता लगा सकते हैं। मैं माल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक कमेटी का बैठाया जाना बहुत जरूरी है और अगर मंत्री जी यह कहें कि उसका बैठाना तो असम्भव हो जायगा क्योंकि सारे सूबे के पट्टे की बात है और इतनी जल्दी काम नहीं हो सकेगा तो यह जिम्मेदारी कम से कम हम अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हैं, पूर्वी जिलों यानी बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी के पट्टे तो एक महीने के अन्दर ही लाकर हम सरकार की खिदमत में रख देंगे और सरकार चाहे तो फिर उसकी जांच करा ले और उसके बाद वही नतीजा उसे मिलेगा, जो हमारा है। हम लोगों के पास भी आंकड़े हैं और उन्हीं के आधार पर हम माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। हमारे सूबे में ७३ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो दो एकड़ से कम जमीन रखते हैं और दो एकड़ का जो पट्टा रखते हैं और ३० एकड़ का जो पट्टा रखते हैं या जिन्होंने कराया है उनमें बहुत बड़ा भेद है।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि जो सिद्धान्त जमींदारी उन्मूलन में दिया जा चुका है उसके विपरीत कोई नये सिद्धान्त आप उसमें प्रवेश करके अपनी ओर से एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करके वाद-विवाद जारी न रखें।

श्री राजनारायण—मैं हमारे सामने जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में यह दिया हुआ है कि २१ मई से...

माननीय अध्यक्ष—मैंने जो रूलिंग व्यवस्था दी है उस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप विषयान्तर कर रहे हैं आपकी एक थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड -भूमि वितरण का सिद्धान्त की है। उस पर बहस हो चुकी है और जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्त तय हो चुके हैं। यह विधेयक इस बात के लिये है कि जमींदार नाजा-यज फायदा उठाने के लिये कोई चीज नाजायज न कर दें जिससे उन्मूलन का उद्देश्य पूरा न हो, इसलिये यह बिल है। आप उस पर ही अपने को सीमित रखिये।

श्री राज नारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि २१ मई की तारीख को और आगे बढ़ा दें क्योंकि जमींदारी उन्मूलन में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कब तक के पट्टों की बाबत होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समय इस बिल को वापिस ले और हम लोग रात-रात भर जग कर अपने सुझावों को उनकी सेवा में रखने के लिये तैयार है। जिस उद्देश्य से वह यह बिल पेश कर रहे हैं उससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि हमारे सूबे में जितने नाजायज पट्टे हुये हैं, जितने ग़ैरकानूनी तरीक़े से पट्टे हुये हैं वे सभी जायज करार दे दिये जायंगे। इस बिल में इस रूप में बड़े दोष हैं इसलिये मैं फिर माल मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को इस समय वापिस लें और एक कमेटी बैठावें जो जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक रिपोर्ट पेश करे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की तकरीर को बड़े ग़ौर से सुना और उनको शिकायत इस बात की मालूम होती है कि २१ मई के बाद के जो पट्टे हुये हैं उन्हीं के रद्द करने का सवाल इस विधेयक में पेश किया गया है। इस वजह से उनका यह ख्याल है कि जो उद्देश्य इस बिल का है उसकी पूर्ति इस बिल के जरिये से होती नहीं है। हमारे मित्र ने यह भी फरमाया कि हमारे जमींदारी विनाश विधेयक की जो उसूली बातें हैं वे भी पूरी नहीं होंगी और उसके मुताल्लिक भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई हालांकि वह इस मौके के लिये मौजूं नहीं था। मुझे अफसोस है कि हमारे दोस्त जिस वक्त कि वह विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित था उपस्थित नहीं थे। मैं यह कहने की जुर्रत कैसे करूं कि हमारे लायक दोस्त ने उसको पढ़ा नहीं। हमारे दोस्त ने कानून पढ़ा नहीं है, यह कहने की मैं जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन जो बातें उन्होंने इस वक्त कही हैं उनसे यह नतीजा बरामद होता है कि उन्होंने तवज्जह के साथ उस ऐक्ट को पढ़ा नहीं है। अगर हमारे दोस्त तवज्जह के साथ सेक्शन २१२ को पढ़ लें तो उससे यह बात साफ हो जायगी जो कि उन्होंने अपनी शिकायत में कही है। वह अंग्रेजी में है इसलिये मैं आपकी इजाजत से उसको पढ़ना चाहता हूं।

"Any person who, on or after the 8th day of August, 1946 has been admitted as a tenure or grove-holder of, or being an intermediary has brought under his own cultivation or has planted a grove upon, land which was recorded as or was customary common pasture land, cremation or burial ground, tank, pathway or *khalihan*, shall be liable, notwithstanding anything contained in section 199, on the suit of the *Gaon Sabha*, to ejectment from the land, on payment of such compensation as may be prescribed."

[यदि ८ अगस्त, १९४६ ई० को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती ने कोई ऐसी भूमि जो अभिलिखित या आचारिक सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता या खलिहान थी, अपनी जोत में कर लिया हो या यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति को काश्तकारी या बागदारी पर उठा दी गयी हो तो ऐसा मध्यवर्ती या व्यक्ति ऐसा प्रतिकर देने पर जो नियत किया जाय, धारा १९९ में किसी बात के रहते हुए भी गांव सभा द्वारा प्रस्तुत वाद पर, उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है।]

इस धारा २१२ की रू से यह अख्तयार दिया गया है कि ऐसी जमीन का पट्टा जैसे खलिहान, चरागाह की जमीन, रास्ते की जमीन, तालाब के जो ऐसे पट्टे दिये गये हैं, वे नाजायज तरीक़े के हैं और ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० के बाद के हैं और यह तारीख वह है जिस तारीख से जमींदारी अबालिशन प्रस्ताव यहां पर पास किया गया था। मेरा ख्याल यह था कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद हमारे कुछ मित्रों ने इस बात की कोशिश की कि ऐसी जमीन का पट्टा देकर बहुत कुछ फायदा उठाया जाय

[माननीय श्री हुक्म सिंह]
लिहाजा इस बात को मद्देनजर रख कर सदन ने यह दफा इस ऐक्ट में रखी कि ऐसे जितने पट्टे जात हों वह गांव-सभा के दावे पर मंसूख हो जायंगे और पट्टा पाने वाला उस जमीन से बेदखल कर दिया जायगा। लिहाजा जो शिकायत हमारे दोस्त ने की है वह शिकायत इस धारा के प्राविजन (उपबन्ध) से रफा हो जाती है।

मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त बावजूद इसके कि हमारी तरफ से पूछा गया कि आखिर आप बतलाइये कि इसकी मुखालिफत कर रहे हैं या ताईद कर रहे हैं, उनको जुर्रत नहीं हो सकी कि इस चीज को साफ करें। हमेशा ऐसा जवाब दिया गया जिससे मालूम होता था कि उनकी बात मुहमिल है। इस वास्ते यह नतीजा निकालने के लिये मजबूर है कि आपने उसकी ताईद नहीं की और न मुखालिफत की। आपकी जो शिकायत है वह दफा २१२ के पढ़ने से साफ हो जाती है। आपने उसको सुन लिया और उसको पढ़ लिया तो मैं समझता हूं आपकी शिकायत रफा हो जायगी और तब मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त इस बात की जरूरत नहीं समझेंगे कि कोई पट्टा कायम किया जायगा। कानून मौजूद है। गाँव-सभा मौजूद है गांव सभा अगर समझती है कि ऐसे पट्टेजात जो दिये गये हैं वे नाजायज हैं और वे मंसूख होने चाहियें तो दावे का हक उनको दिया गया है उससे वह मंसूख हो जायंगे। इस वास्ते हर बात के लिये इन्क्वायरी कमेटी बैठाने की बात कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। गांव-सभा है, वह अपने गांव के हालात को अच्छी तरह से समझती है कि कहां पर चरागाह है, कहां पर कब्रिस्तान है, कहां पर रास्ते हैं और उनको खत्म कर दिया गया है। लिहाजा यह विधेयक बिल्कुल सीधा सादा है और ठीक है, भले ही मेरे दोस्त इसकी मुखालफत करें। मुझे यकीन कामिल है कि जो उनकी शिकायत थी वह रफा हो गई और अब वह इसको पसन्द करेंगे।

लेकिन यह कानून इसलिये लाया गया है कि जो थोड़ी सी तादाद ऐसा करने वालों की है वह भी न करे तो अच्छा हो और लिटीगेशन (मुकदमेबाजी) क्यों बढ़ाया जाय। मैं मुखालिफत की इस तरफ से उम्मीद करता था, लेकिन मुखालिफत आई उस तरफ से, इस चीज को देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे राजा जगम्मनपुर ने कोई मुखालिफत नहीं की, मुखालिफत की हमारे विरोधी दल के नेता जी ने। मुद्दत से अभी तक खामोश थे। अगर उन्होंने यह धारा पढ़ ली होती तो इस मुखालिफत की कोई जरूरत ही नहीं थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वे फिर इस बात को सोच लेंगे उन्हें तो दुबारा मौका जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) में मिलेगा नहीं, अगर वे अपने किसी मित्र से उसकी ताईद करा दें तो अच्छा होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और संविधान अनुच्छेद १९ (१) (एफ) और १३(२) का उल्लंघन करता है। इसलिये इस लेजिस्लेचर को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई विधेयक इस सदन में उपस्थित करे। अनुच्छेद १९ (१) (एफ) इस प्रकार है --

"19( )(*f*) All citizens shall have the right to acquire hold and dispose of property."

[१९ (?) (च) सब नागरिकों को सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार होगा।]

और अनुच्छेद १३ (२) इस प्रकार है—

"13 (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention be void."

[१३ (२) राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा, जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड को उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकल १३ (२) के अनुसार किसी भी विधान मंडल को किसी भी विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि ऐसे नियम बनाये जांय । यह अनधिकार चेष्टा है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है । मैं इस समय सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि यह शब्द "शैल" है और इससे यह प्राविजन मेंडेटरी (उपबन्ध अनिवार्य) हो जाता है ।

माननीय अध्यक्ष—आप कृपया बतलायें कि यह विधेयक फंडामेटल राइट्स को कैसे तोड़ता है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—"टु एक्वायर, होल्ड ऐंड डिस्पोज आफ, (अर्जन, धारण एवं व्ययन) । यानी यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी सम्पत्ति का, अपनी प्रापर्टी का डिस्पोज आफ (व्ययन) कर सकते हैं । इस विधेयक के द्वारा हमारी सम्पत्ति के ऊपर जो पाबन्दी लगायी जा रही है वह सर्वथा अनौचित्यपूर्ण है । साथ ही साथ बहुमत दल इस पर भरोसा करता होग कि कंस्टीट्यूशन की आर्टिकल १९ के सब-क्लाज ५ के अनुसार वह इसे कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं उसे पढ़ कर आपको सुना रहा हूं और आपके द्वारा इस सदन को भी सुना रहा हूं ।

"19 (5) Nothing in sub-clauses (*d*), (*e*) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by th said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

[१९(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की बात कोई उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्ति-युक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निबंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी ।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सम्पत्ति को अवधारण करना हमारा मौलिक अधिकार है और कोई भी विधेयक इस संबंध में बनाया जाता है तो वह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और यह उसके विरुद्ध है । मैं यह मानता हूं कि कंस्टीट्यूशन की दफा १९(एफ) के सब-क्लाज ५ के अनुसार रीजनेबिल रिस्ट्रक्शन (युक्तियुक्त निर्बन्धब) लगा सकते हैं, परन्तु यह याद रखे कि वह औचित्यपूर्ण हो और साथ ही साथ यह भी लाजिमी है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट (जन-हित) में हो, सर्व साधारण के हित में हो । ऐसा विधेयक जो इन दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता हो वह भवन के सामने नहीं लाया जा सकता है । यह कहना कि हम अपनी सम्पत्ति को, अपनी जमीन को किसी को पट्टे वगैरह पर नहीं दे सकते हैं, (जनहित) अपनी जायदाद को दूसरों को किसी भी सूरत में नहीं दे सकते हैं, यह मौलिक अधिकार पर आघात किया जा रहा है ।

क्या मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे समझते हैं कि यह प्रतिबन्ध जो लगाया जा रहा है वह औचित्यपूर्ण ह और वह जनता के हित में है ?

[श्री प्रबधेश प्रताप सिंह]

किसी भी मौलिक अधिकार के ऊपर आघात करने पर यह दिखलाना आवश्यक है, परन्तु आवश्यक है कि इन दोनों शर्तों की पूर्ति की जा रही है। एक यह कि वह जन हित में हो और साथ ही साथ जो पाबन्दी हो वह औचित्यपूर्ण हो। लेकिन ये दोनों शर्तें इस विधेयक में नहीं पूर्ण की जा रही हैं रहा यह कि बहुमत दल यह समझता हो कि २१ मई से ही हमारी सम्पत्तियों पर आपका अधिकार हो गया है या जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सेक्शन ४ के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों पर आघात कर सकते हैं तो यह उसकी भूल है। पहली जुलाई से पहले आप हमारे अधिकारों को नहीं छू सकते हैं। आपको याद होना चाहिये कि हर विधेयक या अधिनियम भारतीय संविधान के संशोधन से मान्यता नहीं पा जाता है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी आप इसे मान्यता प्रदान नहीं करा सकते है। आप कहीं यह भूल न कीजियेगा नहीं तो मुकदमेबाजी बिला वजह बढ़ जायेगी। विरोधी दल के नेता को मैं बता देना चाहता हूं कि यह बहुत ठीक है कि वह हमें मुआविजा भी न दें और हमारी जायदादें लेकर हमें हिन्दुस्तान से भी निकाल दें। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई विधेयक बनाना चाहते हैं, तो संविधान के हर एक अनुच्छेद को बदलिये और तत्पश्चात् कोई विधेयक लाने का साहस कीजिए।

श्रीमान्, मैं आपके द्वारा सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि बहुमत दल यह भूल कर रहा है कि वह यह समझता है कि अब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट से वह जमींदारों के मौलिक अधिकारों को भी छीन सकता है। फर्स्ट अमेंडमेंट आफ दी कंस्टीट्यूशन (संविधान के प्रथम संशोधन) के अनुसार यह ठीक है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट मान्यता पा गया है और हर तरह से निर्दोष साबित किया गया है। परन्तु यह जो बिल आज है यह उसके अनुसार नहीं है और उस अमेंडमेंट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि उसमें यह आ जाता तो मैं मानते हुये सहर्ष स्वीकार करता कि आप हमारी जमींदारी ले सकते हैं। लेकिन जब तक पहली जुलाई नहीं होती है यह विधेयक सदन के समक्ष नहीं आ सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। मुझे जरा सी कठिनाई इसलिये होती है कि मेरे पास हिन्दी की प्रतिलिपि कंस्टीट्यूशन की नहीं है और हिन्दी में समझाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। यह न तो जनहित में है और न औचित्यपूर्ण ही है। ये दोनों बातें देखने की है।

यह भी कहा गया है कि ताल्लुकेदार और जमींदार नजराना लेते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से लेते होंगे और बहुत से नहीं लेते होंगे मैं माननीय माल मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि अब कोई जमींदार ऐसा नहीं है कि वह यह चाहे कि आप नोटीफिकेशन (अधिसूचना) न करें ताकि वह पट्टा दे सके। यदि उसे पट्टा देना था तो वह बहुत पहले दे चुका है। आप इससे काश्तकारों का ही गला काट रहे हैं और वह इस तरह कि जो काश्तकार इस इन्तजार में थे कि वह ४ महीने तक अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इनकी क्या दशा होगी जबकि आप ३० मई के बाद यह घोषित कर देंगे कि हर चीज अबंध होगी और रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इस तरह आप उन काश्तकारों के हितों का, जिनकी नुमाइन्दगी करने आप यहां आये हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। उनके साथ कुठाराघात कर रहे हैं।

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की पाबन्दी पहली जुलाई से होती है। लिहाजा इन वैधानिक आपत्तियों को देखते हुये इस सदन के सामने यह विधेयक नहीं आ सकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। यदि वापस लेना वे नहीं चाहते हैं तो एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) के पास मतदान के लिये भेज दें। जो जमींदारों की तरफ से कहा गया है उसको दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पर एक बार निर्णय हो जाने के बाद आप यह न मान लीजिये कि विधान की बात अब रही ही नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--आप तो प्वाइंट आफ आर्डर रेज (यांत्रिक आपत्ति) कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष--प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज किया है। वह बहस में कह रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से, जो विधान को भली भांति समझ सकते हैं, निवेदन करूंगा कि ऐसा अधिनियम बनाने से क्या लाभ, जो कल किसी न्यायालय में जा करके ठुकराया जाय। उससे इस सदन का अपमान होगा और लोग हम लोगों की बुद्धि में भी अविश्वास करने लगेंगे। हमको ऐसा अधिनियम नहीं बनाना चाहिये जो जुडिशयरी (न्यायपालिका) की कसौटी के सामने एक दिन भी न टिक पाये। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि औचित्यपूर्ण पाबन्दियां और प्रतिबन्ध क्या हैं। सर कामेश्वर सिंह आफ बिहार के केस के बारे में यह कहा गया है --

"It has been said that the Bihar State Management of Estates and Tenures Act imposes restrictions of the most far-reaching and drastic kind on the power of proprietors and tenure holders to deal with their property and it cannot fairly be said that these restrictions are either "reasonable" or "impose any interests of the general public."

[यह कहा गया है कि बिहार स्टेट मैनेजमेंट आफ इस्टेट्स ऐंड टेन्योर्स ऐक्ट भूस्वामियों तथा पट्टेदारों की भूमि संबंधी लेन-देन की शक्ति पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव वाली तथा कठोर बाधायें डालता है और यह समुचित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये बाधायें "युक्ति युक्त" हैं या "सार्वजनिक हित में हैं"।]

असल में इस पर निर्णय देने का काम जुडिशियरी (न्यायपालिका) का है कि जो पाबन्दियां लगाई जा रही हैं वे औचित्यपूर्ण हैं या नहीं हैं। यह इतनी मोटी-सी बात है कि मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री इसको भली-भांति समझ सकेंगे कि यह, जो रेस्ट्रिक्शन्स (निर्बन्धन) लगाये जा रहे हैं वे सोलह आने बेकार हैं। इसमें किसान का भी कोई हित नहीं है। होगा यह कि जो किसान बेचारा जमींदार से पट्टा ले करके घर बैठा हुआ है, वह जब रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगा तो रजिस्ट्रार उससे यह कहेगा कि यू० पी० सरकार का हुक्म है कि २० तारीख के बाद रजिस्ट्री न हो। इस प्रकार इसमें जन हित नहीं है। मैं इन वैधानिक आपत्तियों को आप के द्वारा सदन के सम्मुख रखता हूं और आशा करता हूं कि यह एडवोकेट जनरल के पास मतदान के लिये भेज दिया जाय, जिस से भविष्य में चलकर कोई ऐसी आपत्ति न हो, जो हम लोगों के लिये या प्रदेश के लिये हानिकारक हो।

श्री बृजविहारी मिश्र--रोज की तरह से आज भी वही हालत है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने इस बिल का भी विरोध किया है। हम तो यह समझते थे कि वह विरोध नहीं करेंगे कम से कम इस बिल का जो जन हित के लिये है। मगर उनसे जब प्रश्न किया गया तो यह नहीं बता सके कि इसके विरोध में बोलते हैं या पक्ष में। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय ठाकुर हुकुम सिंह ने कहा विरोध तो इधर से होना चाहिये, उधर से कैसे हो गया।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा कि इसमें तो कानूनी अड़चनें हैं। यही नहीं, बल्कि फंडामेंटल राइट्स का सवाल उन्होंने उठा दिया और यह कहा कि यह तो भारतीय संविधान के विरुद्ध है, यह क़ानून नहीं आना चाहिए। मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रश्न आज ही नहीं, बल्कि बहुत बार इससे पहले जबकि इस भवन में ज़मींदारी उन्मूलन बिल पर विचार हो रहा था और हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया और यह चीज तय हो गयी कि इस सदन को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके बावजूद भी हमारे माननीय सदस्य को यह जुर्रत हुई कि इस प्रश्न को फिर यहां उठावें।

मैं श्रीमान् के द्वारा अपने मित्रों से जो ज़मींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं यह कहना चाहता हूं कि वह समय लद गया।

एक सदस्य---अब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---मेरे दोस्त का कहना है की जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है आप चाहे जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों परन्तु यहां जो बातें कही गयी हैं उनसे यही आशय निकलता है। फिर भी अगर आप को बुरा लगता है तो मुझे क्षमा करेंगे। यह जो आपके सामने बिल रखा गया है यह बहुत ही न्यायसंगत है और बहुत जरूरी है। मुझे भी ३० वर्ष से कचेहरी का काम करने का तजुर्बा है। मैं जानता हूं कि किसानों का करोड़ों रुपया जमींदारों की जेब में गया है। नजरानों तो वे ले नहीं सकते, क्योंकि कानून के अनुसार पकड़ जायेंगे। इसलिये करते क्या थे कि घूरे में रुपये की गठरी रख दो और एक दावा कर दिया और ठीक फैसला हो गया कि फला आदमी काश्तकार है। अब मैं कहता हूं कि जब तक जमींदारी उन्मूलन कानून पहली जुलाई तक लागू नहीं होता तब तक इस बिल का कानून के रूप में परिणत हो जाना बिलकुल न्यायसंगत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सूबे में आंधियां आयेंगी और जितनी भी जमीन है उसका दुरुपयोग किया जायेगा।

एक सदस्य---कैसे?

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं तो जानता हूं और चाहूं तो सैकड़ों मिसालें भी दे सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य को मुझे ऐड्रेस (संबोधित) करना चाहिए।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---जी, बहुत अच्छा। इस बिल पर माननीय श्री रामनारायण जी के एतराज करने पर मुझे आश्चर्य हुआ। आप कहते हैं कि इसको और बढ़ा दिया जाय। अरे भाई, इसके लिए संशोधन लाते। आप तो संशोधन लाने के आदी हो गये हैं, बात-बात में संशोधन लाते हैं। लेकिन इसका विरोध कैसे करते हैं? यह तो बिलकुल एक आवश्यक कानून बनाया जा रहा है जिस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

मैं फिर कहूंगा कि न्याय के लिये और शासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि नाजायज काम कोई न कर सके और इस कानून के द्वारा जो नाजायज काम जोर करने से रोके जा रहे हैं। यह बिलकुल न्यायसंगत है और इसको पास किया जाय।

मैं ज्यादा समय न लेकर के विरोधी पक्ष के और उन भाइयों से जो कहते हैं कि हम जमींदारी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उन बातों को भूल जायं और इस कानून को जल्द से जल्द ऐक्ट के रूप में परिणत होने दें ताकि जनता की भलाई हो सके। हम और वे, दोनों, जनहित करने आये हैं और मैं श्रीमान् के द्वारा उन सब भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनहित की दृष्टि से इस कानून का पास हो जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री रामनारायण---आदरणीय महोदय, चूंकि यह जनरल डिस्कशन चल रहा था, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारा जो संशोधन है वह बाद में आयेगा। मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्य को बता देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जो बिल आया है, उसकी भावना के लिये कुछ दाद दे सकता हूं, लेकिन जो बिल उन्होंने प्रस्तुत किया है जब उसको देखता हूं तो मुझे उस अफ्रीका के जानवर 'कोकोडाइल' की याद आती है, जो कि बनावटी आंसू बहा-बहा कर के अपने शिकार का भक्षण किया करता है। इस बिल में हमारे ट्रेजरी बेंचेज ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त करने का प्रयत्न किया है। हमारे माननीय उद्योग मंत्री ने बड़े नाटकीय ढंग से

अपने विषय को पेश किया और वे अपनी बुद्धि की बाहुल्यता में इतने आगे बढ़ गये कि यह न समझ सके कि वह खुद अपने ही विपक्ष में बोल रहे हैं। जब माननीय उद्योग मंत्री ने हमारे सामने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट और लैंड रिफार्म ऐक्ट की २१२ धारा का कोटेशन दिया, उस समय वह खुद इस बात को जानते हैं कि अगर वह धारा सही है और उस धारा से काम उनका हो सकता है तो यह नया बिल लाने की क्या आवश्यकता थी। माननीय मंत्री शायद यह कहना चाहते हैं कि कोई जमीन ऐसी नहीं रह गयी है जिसका २१२ में समावेश न हो जाय। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो संशोधन आ रहे आवेंगे उसमें हम यह कहेंगे कि असल में यह सूझ-बूझ जो हमारे बहुमत दल ने दिखाई यह बहुत पहले दिखानी चाहिये थी।

१५ अगस्त, सन् ४७ ई० का जमाना था जब नई आजादी आई थी और उस नई आजादी के मौके पर सारे देश के किसान हमारी कांग्रेस सरकार की तरफ आंख लगाए बैठे थे और उसकी ओर ताक रहे थे। अगर वाकई आपका यह मंशा था तो एक विधेयक इस हाउस में १५ अगस्त १९४७ को आ जाना चाहिये था कि १५ अगस्त सन् १९४७ई० के बाद कोई जमींदार कोई पट्टा नहीं कर सकता और कोई जमींदार अपनी जमींदारी के हक को आगे आइंदा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें अगर आतीं तो हम समझते कि कोई भावना है और वास्तविक कोई किसानों का हित उस जमींदारी बिल से है।

हमारे नेता श्री राजनारायण ने बतलाया कि हमने ऐसा सुझाव पेश किया है कि सन् १९४३ ई० के पट्टों तक को कवर कर लिया जाय। सबसे बड़ी खूबी तो माननीय उद्योग मंत्री के पूर्व कथन में हमने यह देखी कि धारा २१२ को मूल अनुवाद किया, लेकिन कम्पेंसेशन के वाक्य गायब कर गये। यह उनकी बुद्धिमत्ता का द्योतक है। धारा २१२ में यह है कि अगर पाश्चर लैंड चरागाह या रास्ता है, आचारिक सार्वजनिक चरागाह है अगर उसका पट्टा दे दिया गया हो तो गांव सभा उसको फिर से वापस ले सकती है, लेकिन उसके अनुसार कम्पेन्सेशन भी देना पड़ेगा, मुआविजा भी देना पड़ेगा। इसलिये हम लोग इस बिल का विरोध नहीं करना चाहते कि २१ मई से या पहली जनवरी से या कोई भी तिथि हो, जितने पट्टे हैं वह नाजायज करार दे दिये जायं। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इस भावना का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सरकारी दल को मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन इतना कहने का लोभ नहीं संवरण कर सकते कि यह लेट आया है और सरकारी दल ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

श्री लालेन्दु शाह, महाराजकुमार— माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि क्या जो कानूनी बात यहां उठाई गई है उसके सिलसिले में माननीय लाल मंत्री जी ने उसपर ध्यान दिया है और क्या उन्होंने इस सिलसिले में कानूनी राय ली है या नहीं। जहां तक मेरा विचार है कन्सीडरेशन (विचार) तो एक जरूरी चीज होती है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में जमींदारों ने जो एतराज उठाया था उसमें मुख्य यह था कि जिस प्रकार का कम्पेनसेशन उनको दिया जा रहा है वह एक इल्यूजरी (भ्रामक) चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और कहा कि ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार यदि सरकार किसी एक व्यक्ति की जायदाद या उसका हक छीनती है तो यह आवश्यक है कि सरकार उसको किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) दे। इस विधेयक में यह नहीं दिखलाई देता कि कम्पेन्सेशन कैसे दिया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय माल मंत्री हमें यह बतला दें, ताकि इस बहस में हमारा समय नष्ट न हो कि उनकी और माननीय न्याय मंत्री की इस विषय में क्या राय है।

माननीय श्री चरण सिंह—मैं सिर्फ एक मिनट के लिये इस गरज से खड़ा हुआ हूं कि माननीय सदस्यों को यह बतला दूं कि इस विधेयक का किसी मुआविजे आदि से संबंध नहीं है। यह तो जिन रीजन्स (कारणों) की और जिन चीजों की आशंका है उनको रोकने

के लिये हैं और इसका जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था क़ानून के नियमों से कोई संबंध नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में उस तरफ के कुछ माननीय सदस्य, जो कि जमींदार अथवा तालुकेदार हैं उन्होंने यह कहा कि चूंकि यह विधेयक इस सदन की मंशा के विपरीत है, इसलिये यदि यह पास किया गया तो व्यर्थ की मुकद्दमेबाजी होगी, और उस मुकद्दमेबाजी को बचाने के लिये यह सलाह देते हैं कि सरकार इस को वापिस ले ले। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की मुकद्दमेबाजी की बात अगर वह न कहते तो ज्यादा अच्छा होता। मुकद्दमेबाजी का न जाने क्यों जमींदार भाइयों को इतना ज्यादा चस्का है। शायद इसलिये कि वह बहुत दिनों तक जमींदारी के कानून के विरुद्ध मुकद्दमे लड़ते रहे हैं और दूसरों को भी मुकद्दमे लड़ाने की कोशिश करते रहे हैं और आज भी जब यह विधेयक भवन के सामने है तो भी वह इसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं। उन्हें जमींदारी विनाश कानून जो इस भवन में बना, स्वीकृत हुआ और अधिनियम बना उसे नहीं भूलना चाहिये और तरह-तरह की आशंकायें उसके बारे में प्रकट करते हुये भी उन्होंने देख लिया कि वह अपनी जगह पर कायम रहा। हाईकोर्ट से सुप्रीमकोर्ट तक जोर लगाया गया लेकिन विफल रहा। अब १ जुलाई से वेस्टिंग (निहित होना) होगा।

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय सदस्य अधिक समय लेना चाहते हैं या ५ मिनट में समाप्त कर देंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अभी तो मैं अधिक समय लूंगा।

(इसके पश्चात् सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२८ मई, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर,
मंत्री, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पटल

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४ एल० ए०—१९५२—८५०